BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)
ORIGINAL APPLICATION NO. 1270 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Imran Ali ...Applicant

//Versus//

Ministry of Environment,
Govt. of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondents

NDOH: 19.05.2025

PLEADINGS OF TRIAL COURT AND FIRST APPELLATE COURT FILED IN CIVIL SUIT NO. 586/2023 AND FIRST APPEAL NO. 14/2018 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN OA NO. 1270 OF 2024.

Date: 05.05.2025
New Delhi

Filed by:-

SAURABH AJAY GUPTA
RITIK GUPTA
Advocates for Respondent Nos. 5,6,7
Chamber No. 79, A. K. Sen Block
Supreme Court of India
New Delhi-110001.
chambersofsaurabhajaygupta@gmail.com
Mob-9910297074, 8860846598

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	**Annexure R-1** Copy of Plaint dated 06.09.2013 in Civil Suit No. 586/2023.	
2.	**Annexure R-2** Copy of Written Statement dated 18.10.2013 filed by Defendant No. 1 and Defendant No. 2 in Civil Suit No. 586/2023.	
3.	**Annexure R-3** Copy of Replication dated 25.11.2013 to Written Statement dated 18.10.2013 filed by Defendant No. 1 and Defendant No. 2 in Civil Suit No. 586/2023.	
4.	**Annexure R-4** Copy of Written Statement dated 12.12.2013 filed by Defendant No. 3 and Defendant No. 4 in Civil Suit No. 586/2023.	
5.	**Annexure R-5** Copy of Rejoinder dated 17.12.2013 on behalf of the plaintiffs to the Written Statement filed by Defendant No. 3 and Defendant No. 4 in Civil Suit No. 586/2023.	

6.	**Annexure R-6** Copy of Written Statement dated 30.01.2014 filed by Defendant No. 4 and Defendant No. 5 in Civil Suit No. 586/2023.	
7.	**Annexure R-7** Copy of Additional Written Statement dated 26.10.2015 on behalf of Defendant No. 1 and Defendant No. 2 in Civil Suit No. 586/2023.	
8.	**Annexure R-8** Copy of Replication dated 30.10.2015 filed on behalf of the plaintiffs in Civil Suit No. 586/2023.	
9.	**Annexure R-9** Copy of Civil Appeal No. 14 of 2018 dated 13.04.2016 filed before the Ld. District Judge, Bijnor.	
10.	Proof of Service	

ANNEXURE R-1

(1)

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

1. रमेश चन्द्र गोयलआयु लगभग 76 वर्ष पुत्र } स्व0 लल्लूमल
2. सुरेश चन्द्र गोयल आयु लगभग 62 वर्ष पुत्र }

निवासीगण मौ0 माहजनान, कस्बा व पर0 किरतपुर, वादी नं0 1 हाल निवासी द्वारा डा0 संदीप गोयल, एस0डी0पुरम, किरतपुर रोड, कस्बा, पर0 व तह0 बिजनौर एवं वादी नं0 2 हाल निवासी श्री कृष्णा बैंकट हॉल, मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

... वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. तहसीलदार, नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
3. नगर पालिका परिषद, किरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर। ... प्रतिवादीगण
5. राकेश कुमार गोयल आयु लगभग 54 वर्ष पुत्र श्री बशेषचन्द्र गोयल, निवासी मौ0 माहजनान, हाल निवासी मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर। ...तरतीबी प्रतिवादी

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

<u>उपरोक्त वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं :-</u>

1. यह कि आराजी भूमिधरी खसरा नं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वे पुख्ता व खसरा नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, स्थित ग्राम किरतपुर (अब मौ0 हसनपुरा), कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर के वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं स्व0 श्रीमती चन्द्रावती पत्नि स्व0 श्री लल्लूमल बहेसियत साझेदार फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र किरतपुर, पंजीकृत विक्रय पत्र दि0 28.03. 1974 इकरारी सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा से स्वामी व अधिपति रहे हैं।

निरन्तर ..... 2 पर

(48)

(2)

2. यह कि ख0 नं0 2181/1 व 2 एवं ख0 नं0 2182/2 सम्मिलित इकजाई भूमि है। जिनकी इकजाई सीमाऐं वाद पत्र के अन्त में तालिका (अ) में दी गई है।

3. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की मालिक फर्म लल्लूमल रमेश चन्द्र किरतपुर की साझेदार श्रीमती चन्द्रावली का 9 मई सन् 1989 में देहान्त हो गया।

4. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 को क्रय करने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं श्रीमती चन्द्रावती के नामों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो गया।

5. यह कि यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खसरा नं0 2181/1 व 2 व खसरा नं0 2182/2 पर सत्यप्रकाश शर्मा बहैसियत सीरदार काबिज चले आते थे और उक्त सत्यप्रकाश शर्मा ने उपरोक्त खसरा नम्बरान में भूमिधरी के अधिकार 20 गुना लगान अदा करके दि0 18.09.1970 को प्राप्त कर लिये, जिसका इन्द्रज खतौनी वर्ष 1970–79 फसली में हो गया।

6. यह कि उक्त सत्यप्रकाश के खसरा नं0 2181 व खसरा नं0 2182 का क्रमश ~~7 बीघे एवं 7~~ बिस्वे 10 बिस्वांसी पुख्ता रकबा राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा अधिग्रहित किया गया। जिसका मुआवजा भी राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा दि0 20.06.1970 को सत्यप्रकाश शर्मा को मालिक व काबिज मानते हुये व स्वीकार कर नियमानुसार पंचाट के जरिये अदा किया गया।

7. यह कि प्रतिवादी नं0 2 राज्य सरकार उ0प्र0 का अधिकारी/कर्मचारी है और प्रतिवादी नं0 1 प्रतिवादी नं0 2 के हर कृत्य व अपकृत्य के लिए Vicariously Liable है।

8. यह कि प्रतिवादी नं0 4, प्रतिवादी नं0 3 जो कस्बा, किरतपुर का स्थानीय निकाय है, का अधिकारी/कर्मचारी है और प्रतिवादी नं0 4 भी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हर कृत्य व अपकृत्यों के लिए Vicariously Liable है।

9. यह कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 की उपरोक्त आराजी भूमिधरी प्रतिवादी नं0 3 की सीमाओं के अन्दर है और आबादी क्षेत्र में आ चुकी है।

निरन्तर ..... 3 पर

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

(49)

(3)

10. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 ने समय–2 पर अधिकारपूर्वक बहैसियत स्वामि के उपरोक्त खसरा नम्बरान पर दुकान आदि का निर्माण कराकर अपना अध्यासन स्थापित कर रखा हैं तथा बादीगण ने प्रतिवादी नं0 3 से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करके हाल ही में और दुकानात का निर्माण कराया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 3 व 4 उपरोक्त आराजी भूमिधरी को वादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि होना मानते देखते एवं स्वीकार करते चले आऐ हैं।

11. यह कि उपरोक्त आराजी भूमिधरी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 पर बनी दुकानात व अन्य आबादी पर प्रतिवादी नं0 3 ने गृहकर भी आरोपित कर रखा है, जो वादीगण के नाम से प्रतिवादी नं0 3 की मांग पंजिका में दर्ज है और वादीगण प्रतिवादी नं0 3 व 4 को नियमानुसार गृहकर अदा करके रसीदें प्राप्त करते चले आ रहे हैं।

12. यह कि वादीगण की उपरोक्त आराजी भूमिधरी खसरा नम्बर 2181/1 व 2 एवं खसरा नं0 2182/2 से वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

13. यह कि प्रवितादी नं0 4 ने वादीगण को दि0 13.08.2013 का पत्रांक 285/न0 पा0 परि0, किरतपुर, 2013–14 भेजा जो वादीगण को दि0 19.08.2013 को प्राप्त हुआ।

14. यह कि प्रतिवादी सं0 4 ने उक्त नोटिस में वादीगण के खसरा नं0 2181 को तालाब की भूमि बताते हुये, प्रतिवादी नं0 2 के पत्रांक 54/ न0 न0, दि0 30.07.2013 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं वादीगण की माता जी स्व0 श्रीमती चन्द्रावती द्वारा कब्जा कर लेना बताते हुये एक माह के भीतर कब्जा हटाने को कहकर, उसके उपरान्त तहसील/पालिका द्वारा तालाब से कब्जा हटवाने की धमकी दी गई।

15. यह कि वादीगण के खसरा नं0 2181/1 व 2 व 2182/2 में कभी भी तालाब कभी नहीं रहा है और ना है और ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान

निरन्तर .... 4 पर

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

(4)

वादीगण का राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक तालाब के तौर पर इन्द्राज रहा है।

16. यह कि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा दिया गया नोटिस दि0 30.08.2013 अवैध, अनाधिकृत मनमाना एवं अस्पष्ट एवं भ्रामक है और उक्त नोटिस दिये जाने से पूर्व प्रतिवादी नं0 3 व 4 ने वादीगण को अथवा प्रतिवादी नं0 5 को कोई सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखनें का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 व 4 को पत्र दि0 30.07.2013 लिखे जाने से पूर्व वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान किया और प्रतिवादीगण का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 का कब्जा हटवाये जाने का नोटिस एवं धमकी पूर्ण रूप से एकपक्षीय एवं शून्य कार्यवाही है। किन्तु यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त पत्र दि0 30.07.2013 एवं नोटिस दि0 13.08.2013 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 के निर्माण को ध्वस्त करके अथवा अन्य किसी रीति से वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन को हटाने में सफल हो गये, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

17. यह कि यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 में वादीगण की कुल 17 दुकानात बनी हैं तथा प्रवितादी नं0 5 की कुल 21 दुकानात व बैंक का भवन व प्रतिवादी नं0 5 का निवास स्थान है और सभी दुकानात में किरायेदार काबिज हैं और प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये नोटिस दि0 13.08.2013 में वांछित अपकृत्य कर दिये जाने के फलस्वरूप सभी किरायेदार, बैंक एवं निवास स्थान के भवन दुकानात ध्वस्त कर दिये जाने की दशा में ना केवल वादीगण की हानि होगी, बल्कि सार्वजनिक संस्था बैंक की भी अपूर्णीय क्षति होगी।

18. यह कि वादीगण, प्रतिवादी नं0 2 एवं 3 के अध्यक्ष एवं प्रतिवादी नं0 4 से उक्त नोटिस आने के उपरान्त मिले और उक्त नोटिस के आधार पर कार्यवाही ना करने के लिए मौखिक रूप से निवेदन किया। किन्तु प्रतिवादी नं0 2 ता 4 ने वादीगण को कोई आश्वासन कार्यवाही ना करने का नहीं दिया और ना ही वादीगण/कोई सुनवाई की। इस कारणवश वादीगण के पास न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। अतः वादीगण न्यायालय की शरण में आये हैं।

निरन्तर ..... 5 पर

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्रगोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

(51)

(5)

19. यह कि वादीगण का वांछित अनुतोष त्वरित प्रकृति का है और यदि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को धारा 80 (1) सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिया गया और उसकी अवधि व्यतीत होने की प्रतीक्षा की गई और इस मध्य प्रतिवादीगण ने वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन में व्यवधान करते हुये वादीगण के अध्यासन को हटाने का अनुचित प्रयास किया और उसमें सफल हो गये तो वादीगण का वाद योजित करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इस कारणवश वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध धारा–80 (1) सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद योजित करने की अनुमति प्राप्त करने के साथ वाद योजित कर रहे हैं।

20. यह कि वादीगण का वांछित अनुतोष त्वरित प्रकृति का है और यदि प्रतिवादी सं0 3 व 4 को धारा 326 (1) नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिया गया और उसकी अवधि व्यतीत होने की प्रतीक्षा की गई और इस मध्य प्रतिवादीगण ने वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन में व्यवधान करते हुये वादीगण के अध्यासन को हटाने का अनुचित प्रयास किया और उसमें सफल हो गये तो वादीगण का वाद योजित करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इस कारणवश वादीगण प्रतिवादीगण 3 व 4 के विरूद्ध धारा–326 (4) नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित कर रहे हैं।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्रगोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

21. यह कि प्रतिवादी नं0 5 बाहर है और उसको बहैसियत वादी पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है। दावा तुरन्त दायर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस कारणवश प्रतिवादी नं0 5 को बहैसियत तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाता है।

22. यह कि वाद की धनराशी अधिकार न्यायालय एवं न्याय शुल्क के लिए अंकन 4,00,000/–रू0 पर बाबत अनुतोष (अ) निर्धारित है और न्याय शुल्क अनुतोष (अ) की धनराशी के 1/5 भाग पर निश्चित अदा किया जाता है।

23. <u>यह कि वादीगण प्रार्थी हैं कि :–</u>

(अ). यह कि स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4 इस आशय के साथ जारी फरमाई जाये कि प्रवितादीगण 1 ता 4 वादीगण की आराजी भूमिधरी ख0

निरन्तर — 6 पर

52

(3)

नं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वांसी पुख्ता व ख0 नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता जिनकी इकजाई सीमाऐं वादपत्र के अन्त में तालिका (अ) में दी गई हैं, स्थित ग्राम किरतपुर (अब मौ0 हसनपुरा), निकट बस स्टैण्ट, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नज़ीबाबाद, जिला बिजनौर, नगर पालिका परिषद, किरतपुर के अन्दर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 की दुकानात, मकानात आदि को तोड़ या तुडवाकर या अन्य किसी भी रीति से स्वयं या अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों या ऐजन्ट द्वारा उत्पन्न ना करें, ना करावें।

(ब). यह कि व्यय वाद वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 ता 4 से दिलाया जाये।

(स). यह कि अन्य अनुतोष, जो वादीगण के अनुकूल हो, विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4, प्रदान किया जाये।

तालिका (अ)

सीमा आराजी भूमिधरी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 ख0 नं0 2181/1 व 2 एवं ख0 नं0 2182/2, स्थित ग्राम किरतपुर, (हाल मौ0 हसनपुरा), निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

पूरब – मार्किट व श्री कृष्णा बैंकट हॉल वादीगण

पश्चिम – सड़क पी0 डब्लू0डी0

दक्षिण – कब्रिस्तान ख0 नं0 2146

उत्तर – सड़क पी0 डब्लू0 डी0

दिनांक :- 04/01/17

वादीगण
रमेश चन्द्र गोयल व अन्य
द्वारा
04/01/17
श्री प्रशान्त कुमार गोयल, एड0
सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर

मैं वादी नं0 1 आज दि0 04/01/17 को स्थान बिजनौर में तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र के पैरा नं0 1 ता 23 के कथन मेरे निजी ज्ञान में सच एवं सही हैं।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्रगोयल आदि बनाम राज्य सरकार एण्ड0 आदि

7

(5)

वाद का प्रकार :- धारा [illegible]

वाद का मूल्यांकन 5,00,000/-

न्याय [illegible] 500/-

[illegible] 500/-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[signature] 6/9/13

[signature]

श्रीमानजी,
प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।
रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है
[signature]
6/9/13

(3)

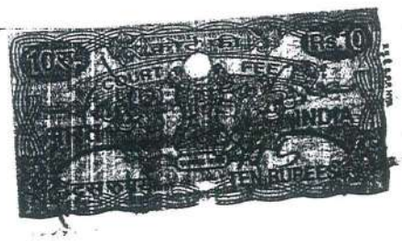

1 of 10

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

OS 586/13

मूलवाद सं0 सन् 2013

रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

शपथ पत्र ओर से श्री रमेश चन्द्र गोयल पुत्र स्व0 लल्लूमल, निवासी मौ0 माहजनान, कस्बा व पर0 किरतपुर, वादी नं0 1 हाल निवासी डा0 संदीप गोयल, एस0डी0पुरम, किरतपुर, रोड, कस्बा, पर0 व तह0 बिजनौर

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है तथा मैं उपरोक्त मूलवाद का वादी नं0 1 हूँ और पैरोकार मुकदमा भी हूँ और वाद के हालात से भली भाँति परिचित हूँ।

2. यह कि मैंने संलग्न प्रार्थना पत्र वास्ते दिये जाने अनुमति बिना नोटिस के प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध वाद योजित करने हेतु, के तथ्यों को भलि-भाँति पढ़, सुन व समझ लिया है और मैं संलग्न प्रार्थना पत्र वास्ते दिये जाने अनुमति बिना नोटिस के प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध वाद योजित करने हेतु, के तथ्यों को इस शपथपत्र के माध्यम से पुष्ट एवं सत्यापित करता हूँ।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

3. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त का पैरा सं0 1 व 2 मेरे ज्ञानानुसार सच एवंम सही हैं। कुछ छुपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

AFFIDAVIT 2013
DISTT. COURT
UTTAR PRADESH
1283254

6.9.13

S No 23/13

6.9.13

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (C.D.), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

9.9.13

1. Ramesh Chandra Goyal, aged about 76 years,
2. Suresh Chandra Goyal, aged about 62 years

Both sons of Late Lallumal

Both resident of Mohalla Mahjanan, Town and Village Kiratpur, Plaintiff No. 1, presently resident of care of Dr. Sandeep Goyal, S.D. Puram, Kiratpur Road, Town, Village and Tehsil Bijnor and Plaintiff No. 2, present resident of Shri Krishna Banquet Hall, Mohalla Hasanpura, Near Bus Stand, Town and Village Kiratpur, Tehsil Najibabad, District Bijnor.

.....Plaintiffs

//Versus//

1. The State of Uttar Pradesh through the District Officer, Bijnor.
2. The Tehsildar, Najibabad, District Bijnor.

3. Municipal Council, Kiratpur through the Chairman Municipal Council, Kiratpur, Town and Parcel Kiratpur, Tehsil Najibabad, District Bijnor.

4. Executive Officer, Municipal Council, Kiratpur, Town and Village Kiratpur, Tehsil Najibabad, District Bijnor.

.....Defendants

5. Rakesh Kumar Goyal, aged about 54 years, son of Shri Basheshchandra Goyal, resident of Mohalla Mahjanan, presently resident of Mohalla Hasanpura, Near Bus Stand, Town and Paragana Kiratpur, Tehsil Najibabad, District Bijnor.

...Proforma Defendant

The aforesaid plaintiffs submit as under:-

1. That plaintiffs of Araji Bhumidhari Khasra No. 2181/1 and 2 areas 3 bighas 8 biswas solid and Khasra No. 2182/2 areas 7 biswas 9 biswansi solid, total area 3 bighas 15 biswas 9 biswansi solid, situated at village Kiratpur (now Mauza Hasanpura), Area and Paragana Kiratpur, Tehsil Najibabad,

District Bijnor and respondent no. 5 and Late Smt. Chandravati, wife of Late Shri Lallumal being Partner of the Firm of the partnership firm Lallumal Rameshchandra Kiratpur, registered sale deed dated 28.03.1974, Satyaprakash Sharma, son of Krishnadutt Sharma has been the owner and title holder.

2. That Khasra No. 2181/1 and 2 and Khasra No. 2182/2 are joint land, boundary of which has been described at the end of Table (A) of the plaint.

3. That the partner Smt. Chandrawali of the firm Lallumal Ramesh Chandra Kiratpur, died on 9th May 1989.

4. That after the purchase of the above mentioned Khasra numbers by the plaintiffs and defendant No. 5, the names of the plaintiffs, defendant No. 5 and Smt. Chandravati were entered in the revenue records.

5. It is also pertinent to mention here that Satyaprakash Sharma was in possession of the above mentioned

Khasra No. 2181/1 and 2 and Khasra No. 2182/2 in the capacity of Sirdar and the said Satyaprakash Sharma acquired the rights of land ownership in the above mentioned Khasra numbers by paying 20 times the rent on 18.09.1970, which was entered in the Khatauni in the Fasli year 1970-79.

6. That Khasra no. 2181 and 2182 of the said Satyaprakash, measuring 7 bighas and 7 biswas 10 Biswansis solid areas respectively, were acquired by the State Government of Uttar Pradesh. The compensation for which was also paid by the State Government of Uttar Pradesh on 20.06.1970 by accepting and considering Satyaprakash Sharma as the owner and occupant through arbitration as per rules.

7. That defendant No. 2 is an officer/employee of the State Government of Uttar Pradesh and defendant No. 1 is vicariously liable for every act and misdeed of defendant No. 2.

8. That the defendant No. 4, defendant No. 3 being an officer/employee of the local body of Town Kiratpur and defendant No. 3 is also vicariously liable for all the acts and omissions of his officers/employees.

9. That the above mentioned land owned by the plaintiffs and defendant no. 5 is within the limit of defendant no. 3 and has come within the inhabited area.

10. That the plaintiffs and defendant no. 5 have established their residence by constructing shops etc. on the above mentioned Khasra numbers in their capacity as owners at the time-to-time and the plaintiffs have recently constructed more shops after obtaining the approval of construction as per rules from defendant no. 3. Thus, defendant no. 3 and 4 have been considering and accepting the above mentioned Arazi Bhumidhari land assuming the land owned and possessed by the plaintiffs.

11. That the holding tax has been levied by the defendant no. 3 on the shops and other inhabited areas built on

the above-mentioned Arazi Bhumidhari plaintiffs and defendant no. 5, which is recorded in the demand register of defendant no. 3 in the name of the plaintiffs and the plaintiffs have been paying the holding tax to defendants no. 3 and 4 according to rules and acknowledgments thereof.

12. That no person or defendant other than the plaintiffs has any relation or concern with the above mentioned Araji Bhumidhari Khasra No. 2181/1 and 2 and Khasra No. 2182/2 of the plaintiffs.

13. That plaintiff no. 4 sent letter No. 285/N.C., Kiratpur, 2013-14 dated 13.08.2013 to the plaintiffs which was received by the plaintiffs on 19.08.2013.

14. That defendant no. 4 in the aforesaid notice described the plaintiffs' Khasra No. 2181 as pond land, and on the basis of defendant No. 2's letter No. 54/N.N, dated 30.07.2013, stated that the plaintiffs and defendant no. 5 and the plaintiffs' mother Late Smt. Chandravati have taken possession of the land, and asked them to vacate the land within a month.

Thereafter, the Tehsil/Municipality threatened to get the possession of the pond vacated.

15. That there has never been a pond in the plaintiffs' Khasra Nos. 2181/1 and 2 and 2182/2 and neither is there any pond in the above mentioned Khasra numbers. The land of the plaintiff has been recorded as a public pond in the revenue records.

16. That the notice dated 30.08.2013 issued by defendant no. 3 is illegal, unauthorized, arbitrary, vague and misleading and before issuing the said notice, defendant nos. 3 and 4 did not give any opportunity of being heard and to present their side to the plaintiffs or defendant no. 5 nor did defendant No. 2 provide any opportunity of being heard and to present their side to the plaintiffs and defendant No. 5 before writing the letter dated 30.07.2013 to defendant nos. 3 and 4 and the notice and threat of the defendants to evict the plaintiffs and defendant no. 5 is a completely unilateral and void action. But if the defendants, on the basis of their aforesaid letter

dated 30.07.2013 and notice dated 13.08.2013, succeed in demolishing the construction of the plaintiffs and defendant no. 5 or in removing the peaceful residence of the plaintiffs by any other means, then the plaintiffs will suffer irreparable loss.

17. It is also pertinent to mention here that in the above mentioned Khasra numbers, plaintiffs and defendant no. 5 have a total of 17 shops and defendant no. 5 has a total of 21 shops and a Bank building and defendant No. 5 has a residential place and all the shops are occupied by tenants and as a result of the wrongdoing desired in the notice dated 13.08.2013 given by the defendants, in case all the tenanted buildings, shops of the Bank and the residential place are demolished, then not only will the plaintiffs suffer loss but the public institution Bank will also suffer irreparable loss.

18. That the plaintiffs met the Chairman of Defendant No. 2 and 3 and Defendant No. 4 after receiving the said notice and verbally requested them not to take

any action on the basis of the said notice. But Defendants No. 2 and 4 did not give any assurance to the plaintiffs not to take any action and neither did they hear the plaintiffs. Due to which, the plaintiffs have no other option left except to approach the court. Therefore, the plaintiffs have taken shelter of this court.

19. That the relief desired by the plaintiffs is of immediate nature and if two months' notice is given to defendant Nos. 1 and 2 under Section 80 (1) CPC and the expiry of that period is awaited and in the meantime the defendants make an improper attempt to remove the residence of the plaintiffs by disturbing their peaceful residence and succeed in doing so, then the purpose of filing the suit by the plaintiffs will be defeated. For this reason, the plaintiffs are filing the suit against defendant nos. 1 and 2 after obtaining permission to file the suit under Section 80 (1) CPC.

20. That the relief desired by the plaintiffs is of immediate nature and if a notice of two months is given to

defendants no. 3 and 4 under section 326 (1) of the Municipality Act and the expiry of that period is awaited and in the meantime the defendants make an improper attempt to remove the residence of the plaintiffs by disturbing their peaceful residence and succeed in that, then the purpose of filing the suit by the plaintiffs will be defeated. For this reason, the plaintiffs are filing a suit against defendant no. 3 and 4 under section 326 (4) of the Municipality Act.

21. That defendant no. 5 is out and it is not possible to make him a party in the capacity of plaintiff. It is very important to file the claim immediately. For this reason, defendant no. 5 is made a party in the capacity of order defendant.

22. That valuation of the suit has been fixed at Rs. 4,00,000/- for relief (A) and as such the court fees is fixed at 1/5th of the amount of relief (A) is being deposited.

23. That the plaintiffs pray for the following reliefs:-

(A). That a permanent injunction be issued against the defendants no. 1 to 4 with the intention that the plaintiffs 1 to 4 will be given the land of Arazi Bhumidhari Khasra No. 2181/1 and 2 measuring 3 bigha 8 biswansi solid and Khasra No. 2182/2 area 7 biswas 9 biswansi solid, total area 3 bigha 15 biswa 9 biswansi solid, whose joint boundaries are given in Table (A) at the end of the plaint, situate in village Kiratpur (now Mohalla Hasanpura), near bus stand, town and paragrana Kiratpur, tehsil Najibabad, district Bijnor, within Municipal Council Kiratpur, town and paragana Kiratpur, tehsil Najibabad, district Bijnor, should not cause or cause any disturbance in the ownership and possession of the plaintiffs and defendant no. 5 by breaking or getting demolished or in any other manner, or by their representatives, employees or agents, the shops, houses etc. of the plaintiffs and defendant no. 5.

(B) That the costs be awarded to the plaintiffs by defendants no. 1 to 4.

(C) That such other reliefs to which the plaintiffs are entitled be granted by the defendants 1 to 4.

Table (A)

Boundary of Arazi Bhumidhari plaintiffs and defendant no. 5 Khasra No. 2181/1 and 2 and Khasra No. 2182/2, situated in village Kiratpur, (presently Mohalla Hasanpura), near bus stand, town and village Kiratpur, tehsil Najibabad, district Bijnor.

East - Market and Shri Krishna Banquet Hall of Plaintiffs

West - Road PWD

South - Cemetery Khasra No. 2146

North- Road PWD

Date: 06/08/13

Plaintiff

Ramesh Chandra Goyal and others

Through

06.09.13

Sri Prashant Kumar Goyal, Advocate

Civil Court Compound, Bijnor

I, plaintiff no. 1, do hereby verify today on 06/08/13 at Bijnor that the statements made in para no. 1 to 23 of the plaint are correct and true to my personal knowledge.

Sd/-

Hon'ble Sir,

Petition under Section 80(2) CPC has been filed by the plaintiff.

Report is submitted

Sd/-

6.9.13

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of Uttar Pradesh and others

Affidavit on behalf of Shri Ramesh Chandra Goyal son of Late Lallumal, resident of Mohalla Mahjanan, Town and Village Kiratpur, Plaintiff No. 1, present resident of care of Dr. Sandeep Goyal, S.D.Puram, Kiratpur, Road, Town, Village and Tehsil Bijnor

I do hereby solemnly affirm and state that:-

1. That my name and address mentioned above are correct and I am pairokar of the plaintiff no. 1 in the above mentioned original suit and am also the advocate of the case and as such am well acquainted with the facts of the aforesaid plaint.
2. That the facts of the attached application have been read over and explained to me which I have fully understood, the application attached above is for grant of permission to file a suit against defendant no. 1 and 2 without notice through this affidavit which I verify.

3. That the statements made in para no. 1 and 2 of the affidavit are correct and true to the best of my knowledge. Nothing has been concealed. May God help me.

Sd/-

Ramesh Chandra Goyal

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-2

न्यायालय सिविल जज सी0 डि0 बिजनौर

मूल वाद नंबर–586/2013

रमेशचन्द्र गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

प्रतिवाद पत्र मिनजानिब– प्रतिवादीगण नंबर–1 व 2 की ओर से –

1– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–1 स्वीकार नहीं है।

2– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–2 स्वीकार नहीं है।

3– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–3 स्वीकार नहीं है।

4– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–4 स्वीकार नहीं है।

5– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–5 स्वीकार नहीं है।

6– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–6 स्वीकार नहीं है।

7– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–7 स्वीकार नहीं है।

8– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–8 स्वीकार नहीं है।

9– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–9 स्वीकार नहीं है।

10– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–10 स्वीकार नहीं है।

11– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–11 स्वीकार नहीं है।

12– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–12 स्वीकार नहीं है।

13– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–13 स्वीकार नहीं है।

14– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–14 स्वीकार नहीं है।

15– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–15 स्वीकार नहीं है।

16– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–16 स्वीकार नहीं है।

17– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–17 स्वीकार नहीं है।

18– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–18 स्वीकार नहीं है।

19– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–19 स्वीकर नहीं है।

20– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–20 प्रतिपक्षी उत्तरदातागण से संबंधित न होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

21– यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर–21 प्रतिपक्षी उत्तरदातागण से संबंधित न होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

Advocate

जिलाधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर

22— यह कि वाद पत्र का पैरा नंबर—22 कानूनी है , स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

23— यह कि वाद पत्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं है। वादीगण कोई अनुतोष प्रतिवादी उत्तरदातागण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

विशेष कथन

24— यह कि वादीगण द्वारा वाद प्रतिवादी उत्तरदातागण के विरूद्ध वाद बिल्कुल गलत व विधि विरूद्ध योजित किया गया है , जिसमें कोई सत्यता नहीं है।

25— यह कि ग्राम किरतपुर के महाल चौहानान खेवट नंबर—103 में अभिलेखों में राजाराय भारत सिंह पुत्र राजाराय डालचन्द्र कौम जाट निवासी साहनपुर का नाम अंकित है तथा खसरा नंबर—1347 फसली के कॉलम नंबर—5 में अंकित महाल चौहानान खेवट नंबर—1 अंकित है जिसके कॉलम नंबर—1 में खसरा नंबर—2181 अंकित है , जिसमें पड़ावा व तालाब अंकित है।

26— यह कि प्रश्नगत अराजी आधार वर्ष 1359 फसली में बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है और इसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सरकार है।

27— यह कि ग्राम किरतपुर की खतौनी (एन0जैड0ऐ0) 1367 फसली के खाता नंबर—14 पर बंजर अंकित है तथा तत्कालीन सूपरवाईजर कानूनगो द्वारा ग्राम किरतपुर के खसरा नंबर—2181/1 क्षेत्रफल 3 बिघे पुख्ता व खसरा नंबर—2181/2 क्षेत्रफल 1 बिघा पुख्ता व खसरा नंबर—2182/2 क्षेत्रफल 1—1—14 बिघे पुख्ता पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का कब्जा दर्ज करने के आदेश अंकित है।

28— यह कि ग्राम किरतपुर की खतौनी अन्दर नगरपालिका 1377 फसली से 1379 फसली के खतौनी—160 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवसी ग्राम किरतपुर का नाम खसरा नंबर—2181/1 क्षेत्रफल 4 बिघे पुख्ता , खसरा नंबर—2182/2 क्षेत्रफल 1—1—14 बिघे पुख्ता कुल 2 खेत क्षेत्रफल 5—1—14

Agarwal
Advocate

—3—

बिघे पुख्ता लगान 36.84 रूपये सीरदारी में मूल खातेदार के रूप में एन0जैड0ऐ0 से अन्दर नगरपालिका की खतौनी में बिना किसी आदेश के अंकित हो गयी। यह फर्जी प्रविष्टि है इसके बाद वाद नंबर–32 दिनांक–5–9–1970 में लगान जमा कर सनद भूमिधरी प्राप्त करने के आदेश 1377 से 1379 फसली में अंकित है।

29– यह कि ग्राम किरतपुर अन्दर नगरपालिका किरतपुर परगना किरतपुर , तहसील नजीबाबाद की खतौनी 1380–1384 फसली के खाता नंबर–110 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का नाम उपरोक्त गाटा नंबर , क्षेत्रफल व लगान पर श्रेणी–1 के रूप में अंकित है तत्पश्चात खातेदार द्वारा दिनांक–28–3–1974 को विकय पत्र फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र द्वारा पार्टनर रमेशचन्द्र सुरेशचन्द्र पुत्रगण लल्लूमल व राकेश कुमार पुत्र वशेषचन्द्र व. श्रीमति चन्द्रावती पत्नी लल्लूमल निवासी किरतपुर का नाम अंकित कर दिया।

30– यह कि प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में तालाब के रूप में दर्ज थी और तालाब था. तदानुसार इस आरजी पर तालाब की आराजी पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

31– यह कि वादी को कोई अधिकार प्रश्नगत आराजी पर उत्पन्न नहीं होते है। प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में तालाब के रूप में दर्ज हैं।

32– यह कि वादीगण को प्रश्नगत आराजी पर कब्जा बनाये रखने अथवा कब्जा जारी रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तदानुसार भी वाद वादीगण पेषणीय नहीं है।

33– यह कि वादीगण का वाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है , तदनुसार भी खंडित होने योग्य है। माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।

34– यह कि विधि में प्राविधित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकार के विरूद्ध वाद योजित करने से पूर्व धारा–80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया

Advocate

तहसीलदार

जाना आवश्यक है जो कि वादीगण द्वारा नहीं दिया गया इसलिये वाद वादीगण धारा–80(2) सी0पी0सी0 से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है और वादीगण को दी गयी अनुमति बाबत योजित करने वाद निरस्त की जाकर वाद वादीगण को वापिस होने योग्य है।

35– यह कि वादीगण को प्रतिवादी उत्तरदातागण सं0–1 व 2 के विरूद्ध वाद योजित करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद वादीगण आदेश–7 नियम–11 सी0पी0सी0 के प्राविधानों से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

36– यह कि वादीगण ने वाद का मूल्यांकन गलत प्रकार से किया है और न्यायशुल्क भी अपर्याप्त अदा किया गया है। वाद में एडवरलम न्यायशुल्क देय है।

37– यह कि वादीगण ने वाद सरासर गलत व मिथ्या वचनों के आधार पर योजित किया है , जिसमें कोई सत्यता नहीं है। वाद वादीगण पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त हालात में वाद वादीगण सव्यय खंडित होने योग्य है तथा प्रतिवादी उत्तरदातागण संख्या–1 व 2 वादीगण से विशेष क्षतिपूर्ति अन्तर्गत धारा–35 ऐ0 व 95 बी0 प्राप्त करने के अधिकारी है।

आज दिनांक–18–10–2013 स्थान बिजनौर
तसदीक किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवाद पत्र में वर्णित प्रस्तर संख्या–1 ता 37 का समस्त विवरण बईल्म मेरे सही है।

तहसीलदार
नजीबाबाद

प्रतिवादीगण–
उ0प्र0 सरकार आदि
नजीबाबाद

द्वारा–
अभय कुमार अग्रवाल
जिला शासकीय अधिवक्ता
(दीवानी) , बिजनौर ।

न्यायालय सिविल जज सी0 डि0 बिजनौर

मूल वाद नंबर–586/2013

रमेशचन्द्र गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

शपथपत्र मिनजानिब–

1– मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त मुकदमें में प्रतिवादी उत्तरदातागण की ओर से पैरोकार हूँ एवं हालात मुकदमें से बखूबी वाकिफ हूँ।

2– मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि संलग्न प्रतिवाद पत्र में वर्णित प्रस्तर संख्या–1 लगायत 37 का समस्त विवरण बईल्म मेरे सही है।

3– मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र का प्रस्तर संख्या–1 व 2 का समस्त विवरण बईल्म मेरे सही है, कुछ झूठ नहीं है, न ही कुछ छिपाया गया है, ईश्वर मेरी मदद करे।

ह0–

ग0श0–

दिनांकित– –10–2013

ह0–

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE C.D. BIJNOR

ORIGINAL SUIT NO. 586/2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of UP and others

COUNTER CLAIM ON BEHALF OF DEFENDANT NO. 1 AND 2:-

1. That paragraph no. 1 of the plaint is not admitted.
2. That paragraph no.2 of the plaint is not admitted.
3. That paragraph no.3 of the plaint is not admitted.
4. That paragraph no. 4 of the plaint is not admitted.
5. That paragraph no. 5 of the plaint is not admitted.
6. That paragraph no. 6 of the plaint is not admitted.
7. That paragraph no. 7 of the plaint is not admitted.
8. That paragraph no. 8 of the plaint is not admitted.
9. That paragraph no. 9 of the plaint is not admitted.
10. That paragraph no. 10 of the plaint is not admitted.
11. That paragraph no. 11 of the plaint is not admitted.
12. That paragraph no. 12 of the plaint is not admitted.
13. That paragraph no. 13 of the plaint is not admitted.
14. That paragraph no. 14 of the plaint is not admitted.
15. That paragraph no. 15 of the plaint is not admitted.

16. That paragraph no. 16 of the plaint is not admitted.

17. That paragraph no. 17 of the plaint is not admitted.

18. That paragraph no. 18 of the plaint is not admitted.

19. That paragraph no. 19 of the plaint is not admitted.

20. That paragraph no. 20 of the plaint relates to the defendants, hence requires no comment.

21. That paragraph no. 21 of the plaint relates to the defendants, hence, requires no comment.

22. That paragraph no. 22 of the plaint is legal, hence, no question of admission or denial does arise.

23. That the prayer made in the plaint is not admitted. The plaintiffs are not entitled to receive any relief against the defendants.

Special Statements

24. That the suit has been filed by the plaintiffs against the defendant-respondents in a completely wrong and illegal manner and there is no truth in it.

25. That in the records of Mahal Chauhanan Khewat No.103 of Village Kiratpur, the name of Rajarai Bharat Singh son of Rajasay Dalchand Kaum Jat

resident of Sahanpur is mentioned and in column number-5 of Khasra No.1347 Fasli, Mahal Chauhanan Khewat No.1 is mentioned, in column number-1 of which Khasra No.2181 is mentioned, in which stand (padav) and pond are mentioned.

26. That the land in question is recorded as desert and pond in the base year 1359 Fasli and its actual owner is the Government of Uttar Pradesh.

27. That the Khatauni (NZA) of Village Kiratpur, Account No.14 of 1367 Fasli is marked as desert and the order of the then Supervisor Kanungo for registering the possession of Satyaprakash son of Krishnadutt resident of Village Kiratpur on Khasra No.2181/1 area 3 bigha solid and Khasra No.2181/2 area 1 bigha solid and Khasra No.2182/21 area 1-1-14 bigha solid has been recorded.

28. That in the Khatauni of village Kiratpur within the Municipality, on Khatauni-160 of Fasli 1377 to Fasli 1379, name of Satyaprakash son of Krishnadutt resident of village Kiratpur Khasra No.-2181/1 Area

4 bigha solid Khasra No. 2182/2 Area 1-1-14 bigha solid, total 2 agriculture area 5-1-14 Bigha firm rent of Rs. 36.84 was recorded in the Nagarpalika Khatauni within N.Z.A as the original account holder in Sirdari without any order. This is a fake entry. After this, in Suit no. 32 dated 5-9-1970, the order to obtain sanad Bhumidhari by paying rent is recorded in Fasli 1377 to 1379.

29. That in account number-110 of the khatauni of village Kiratpur within the Municipality Kiratpur, Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad, of 1380-1384 Fasli year, the name of Satyaprakash son of Krishnadutt resident of village Kiratpur is mentioned as category-1 on the above mentioned plot number, area and rent. Thereafter, in the sale deed dated 28-3-1974 by the account holder, the name of the partners Rameshchandra Sureshchandra sons of Lallumal and Rakesh Kumar son of Vasheshchandra and Smt. Chandravati wife of Lallumal resident of Kiratpur was mentioned.

30. That the land in question was registered as a pond in the base year 1359 Fasli and was a pond. Accordingly, no person has any right on the land of the pond on this RG.

31. That the plaintiff does not have any right on the land in question. The land in question is recorded as a pond in the Fasli base year 1359.

32. That the plaintiffs have no legal right to retain or continue possession of the land in question and accordingly the suit is not maintainable by the plaintiffs.

33. That the suit of the plaintiffs is barred by the provisions of the Zamindari Abolition Act, is also liable to be dismissed accordingly. The Hon'ble court does not have the jurisdiction to hear the suit.

34. That as per the provisions of law, before filing a suit against the Government of Uttar Pradesh, notice under Section 80 of the CrPC was given. Therefore, the suit is not maintainable as it is barred by Section 80(2) of the CPC and the suit is liable to be dismissed

and returned to the plaintiffs in respect of the permission given to the plaintiffs.

35. That there is no reason for the plaintiffs to institute a suit against the defendant respondents No. 1 and 2. The suit is not maintainable as it is barred by the provisions of Order-7 Rule-11 CPC.

36. That the plaintiffs have wrongly valued the case and the court fees have also been paid insufficiently. Adverlam court fees are payable in the suit.

37. That the plaintiffs have filed the suit on the basis of absolutely false and untrue statements, which have no truth in them. The plaintiffs' suit is not maintainable.

In the above circumstances, the plaintiffs' suit is liable to be dismissed and the defendant respondents No. 1 and 2 are entitled to receive special compensation from the plaintiffs under Section 35A and 95B.

Sd/-
Respondents
State of U.P. and others

It is hereby verified today on 18-10-2013 at Bijnor that the statements made in paragraph 1 to 37 of the counter claim hereinabove are and true to my knowledge.

Sd/-
Through
Abhay Kumar Agarwal
District Government Advocate (Civil), Bijnor.

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE C.D. BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586/2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of U.P. and others

Affidavit on behalf of Suresh Chandra Halka Accountant Village Kiratipur Tehsil Nazibabad, District Bijnor

1. I do hereby solemnly affirm and state that I am pairokar of the defendants in the above mentioned case and I am well acquainted with the facts thereof.
2. I solemnly state on oath that the statement mentioned in the attached counter-claim all the details / statements made in paragraph 1 to 37 are correct to my knowledge.
3. I state on oath that all the details / statements made in paragraph 1 and 2 of the above affidavit are true and correct to my knowledge, nothing is false and nothing has been concealed, may God help me.

G.S.
Date: 26.10.13

Sd/-
Suresh Chandra
Accountant

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-3

(131)

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

प्रतिउत्तर पत्र विरूद्ध प्रतिवाद पत्र, प्रतिवादी नं0 1 व 2 दि0 28.10.2013, वादीगण की ओर से :–

1. यह कि प्रतिवाद पत्र के पैरा नं0 1 ता 37 के कथन जिस प्रकार लिखे हैं, स्वीकार नहीं हैं।

अतिरिक्त कथन

2. यह कि प्रतिवाद पत्र गलत व असत्य व नये कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो अस्वीकार किये जाने योग्य है और वादीगण का दावा प्रवितादीगण के विरूद्ध सव्यय डिग्री किये जाने योग्य है।

3. यह कि प्रतिवाद पत्र के पैरा नं0 25 कें कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् ख0 नं0 2181 सरकार या प्रतिवादीगण या नगर पालिका या गाँव सभा के सम्पत्ति के तौर पर राजस्व अभिलेखों में कभी दर्ज नहीं रही बल्कि निजी सम्पत्ति रही है और व्यक्तिगत् नामों से खेवट का इन्द्राज रहा है। जिसका कोई लाभ प्रतिवादीगण को नहीं मिलता है।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 586 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

4. यह कि 1359 फसली का इन्द्राज हर्गिज यह तथ्य सिद्ध नहीं करता है कि प्रश्नगत् ख0 नं0 2181 की स्वामी उ0 प्र0 सरकार रही हो।

5. यह कि स्वीकृत रूप में ग्राम किरतपुर नॉन जैड0 ऍरिया रहा है और ऐसी अवस्था में प्रश्नगत् भूमि, जो ग्राम किरतपुर में रही है और खतौनी में एन0 जैड0 ए0 के तौर पर दर्ज रही है, पर उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्राविधान प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते है।

6. यह कि किरतपुर 17 अप्रैल 1865 के गजट नोटीफिकेशन संख्या 384 ए के

निरन्तर ..... 2 पर

(2)

अनुसार यू0 पी0 अधिनियम सं0 20 सन् 1865 के अनुसार उक्त दिनांक से ही कस्बा क्षेत्र घोषित हो चुका था और उसके उपरान्त यू0 पी0 टॉउन ऐरिया एक्ट 1914 के अन्तर्गत व उसके उपरान्त यू0 पी0 म्युनिस्पिलटी एक्ट–1916 के अन्तर्गत क्रमशः टाउन ऐरिया, नगर पालिका क्षेत्र के तौर पर स्थिापित हो गया और प्रश्नगत् ख0 नं0 2181 नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर के अन्तर्गत होने के कारण उस पर उ0 प्र0 अधिनयम संख्या 1 सन् 1951 के कोई भी प्राविधान प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होते है।

7. यह कि सत्यप्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त के नाम का इन्द्राज हर्गिज फर्जी प्रविष्टी नहीं है और उनके हक में सनद भूमिधरी प्राप्त करने का आदेश व इन्द्राज विधि एवं नियमानुसार है। इसके विपरीत कथन प्रतिवाद पत्र असत्य एवं निराधार हैं।

8. यह कि सत्यप्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त से फर्म लल्लू मल रमेश द्वारा विक्रय का खतौनी में इन्द्राज भी वैध एवं अधिकार पूर्वक किये गये विक्रय पत्र दि0 28.03.1974 के अनुसार विधि एवं नियमानुसार है। इसके विपरीत कथन असत्य एवं निराधार है।

9. यह कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 का यह कथन कि सन् 1359 फसली में प्रश्नगत् आराजी में तालाब दर्ज है। इस कारणवश यह प्रश्नगत् ख0 नं0 2181 उ0 प्र0 सरकार या स्थानीय निकाय की सम्पत्ति हो, बिल्कुल गलत है। 1359 फसली में श्रेणी जमन 14–3 व बंजर (2) दर्शाई गई है, जो गलत है। वास्तविकता में यह भूमि श्रेणी 1 व 2 की भूमि, लैड रिकार्ड मैन्युअल के चैप्टर 8 के पैरा नं0 124 के अनुसार है। इसके विपरीत कथन असत्य एवं निराधार है।

10. यह कि वादीगण का दावा हर्गिज उ0 प्र0 जमीदारी के प्राविधानों से बाधित नहीं है। क्योंकि प्रस्तुत मामले पर इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

11. यह कि वादीगण का दावा धारा 80 के प्राविधानों से बाधित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी नं0 3 व 4 द्वारा वाद योजित करने से पूर्व दि0 13.08.2013 को वादीगण का कब्जा हटाने का नोटिस केवल एक माह की अवधि का समय देते हुये, बिना किसी सुनवाई का अवसर प्रदान किये वादीगण को दे दिया गया था और वादीगण के पास इतना समय नहीं था कि वादीगण धारा 80 (1) सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रतिवादी सं0 1 व 2 को दो माह की अवधि का नोटिस देकर समय व्यतीत होने

निरन्तर ..... 3 पर

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 586 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

(3)

का इन्तजार करते। इस कारणवश वादीगण का दावा बिना नोटिस के माननीय न्यायालय से सही तौर से अनुमति प्राप्त करके योजित किया गया।

12. यह कि वादीगण को वाद योजित होने का कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न होने का स्पष्ट विवरण वाद पत्र में अंकित है। वादीगण का दावा हर्गिज आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के प्राविधानों से वर्जित नहीं है।

13. यह कि वादीगण ने वाद का मुल्यांकन सही किया है और न्याय शुल्क भी सही अदा किया है। वादीगण का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है और स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर नियमानुसार न्याय शुल्क दिया गया है। हर्गिज एडवरलम न्याय शुल्क देय नहीं है।

14. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 वादीगण से धारा 35 (ए) व धारा 95 (बी) के अन्तर्गत कोई क्षति पूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

15. यह कि प्रतिवाद पत्र अस्वीकार किया जाकर, वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय डिग्री किये जाने योग्य है।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 588 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

दिनांक :– 25.11.13

वादीगण
रमेश चन्द्र गोयल आदि
द्वारा
श्री प्रशान्त कुमार गोयल, एड0
सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर

25/11/13

मैं वादी नं0 1 आज दिनांक 25.11.13 स्थान बिजनौर तस्दीक करता हूं कि प्रतिउत्तर पत्र का पैरा नं0 1 ता 15 बइल्म मेरे के मुताबिक सही है।

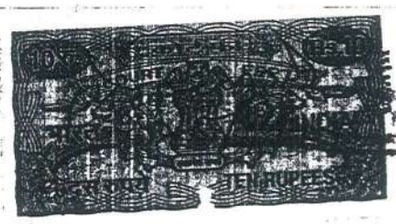

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

शपथ पत्र ओर से रमेश चन्द्र गोयल पुत्र स्व0 श्री लल्लूमल, निवासी मौ0 महाजनान कस्बा वं पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, हाल निवासी द्वारा डा0 संदीप गोयल, एस0 डी0 पुरम, किरतपुर रोड, शहर, पर0, तह0 व जिला बिजनौर।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है तथा मैं उपरोक्त मूलवाद का वादी नं0 1 हूँ व पैरोकार मुकदमा भी हूँ और वाद के हालात से भली भाँति परिचित हूँ।

2. यह कि मैंने संलग्न प्रतिउत्तर पत्र, के तथ्यों को भलि–भाँति पढ़, सुन व समझ लिया है और मैं, प्रतिउत्तर पत्र, के तथ्यों को इस शपथपत्र के माध्यम से पुष्ट एवं सत्यापित करता हूँ।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 588 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

3. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त का पैरा सं0 1 व 2 मेरे ज्ञानानुसार सच एवंम् सही हैं। कुछ छुपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक :–

25/11/2013

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of U.P. and others

Rejoinder on behalf of the plaintiffs to the counter claim filed by Defendant No. 1 and 2 dated 28.10.2013:-

1. That the statements in paragraphs 1 to 37 of the counter-claim as written are not admitted.

ADDITIONAL STATEMENT

2. That the counter-claim has been submitted with false, untrue and new statements, which are liable to be rejected and the claim of the plaintiffs is liable to be dismissed against the plaintiffs.

3. That it is clear from the statements in para no. 25 of the counter-claim that the land in Khasra no. 2181 in question was never recorded in the revenue records as the property of the government or the defendants or the municipality or the village council, but it was a private property and the land was

registered in personal names. The defendants do not get any benefit from this.

4. That the entry of Fasli year 1359 does not at all prove the fact that the owner of the plot no. 2181 in question was the Government of Uttar Pradesh.

5. That, admittedly, Village Kiratpur has been a Non-Z Area and in such a situation, the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 are not applicable to the land in question, which has been in Village Kiratpur and has been recorded as N.Z.A. in the Khatauni.

6. That Kiratpur was constituted as a district by Gazette Notification No. 384A dated 17th April, 1865. According to U.P. Act No. 20 of 1865, the town area had been declared from the said date and thereafter under the U.P. Town Area Act 1914 and subsequently under the U.P. Municipality Act-1916, the town area was established as a municipal area and since the case of Khasra No. 2181 in question falls under the municipal area of Kiratpur, none of the provisions of

U.P. Act No. 1 of 1951 are applicable to the present case.

7. That the entry in the name of Satyaprakash son of Krishna Dutt is not a fake entry at all and the order and entry of the land title in his favour is in accordance with the law and rules. The statements and counter-claims to the contrary are false and baseless.

8. That the entry in the Khatauni of sale by the firm Lallu Mal Ramesh from Satyaprakash son of Krishna Dutt is also valid and as per the sale deed dated 28.03.1974 – according to the law and rules. Statements contrary to this are false and baseless.

9. That the statement of defendant no. 1 and 2 that in the year 1359 Fasli, a pond is recorded in the Arazi in question. Therefore, this plot no. 2181 in question is the property of UP government or local body, is absolutely wrong. In the year 1359 Fasli, the category Jamun 14-3 and dessert (2) has been shown, which is wrong. In reality, this land is of category 1 and 2,

as per paragraph no. 124 of chapter 8 of Land Record Manual. The statements contrary to it is false and baseless.

10. That the claim of the plaintiffs is not at all barred by the provisions of the U.P. Zamindari Act. Because the provisions of this Act are not applicable to the present case.

11. That the claim of the plaintiffs is not barred by the provisions of Section 80 because before the suit was instituted by defendants Nos. 3 and 4, notice for eviction of possession was issued on 13.08.2013 for a period of one month only, without giving any opportunity of being heard to the plaintiffs and the plaintiffs did not have sufficient time to give notice of two months under Section 80(1) CPC to defendants Nos. 1 and 2 after the expiry of the time. Therefore, the plaintiffs' claim was filed without notice after properly obtaining permission from the Hon'ble court.

12. That the cause of action of the plaintiffs against the defendants is clearly stated in the plaint. The claim of the plaintiffs is not at all barred by the provisions of Order 7 Rule 11 Cr.P.C.

13. That the plaintiffs have evaluated the case correctly and have also paid the court fees correctly. The plaintiffs claim for permanent injunction and court fees have been paid as per the rules on the grant of permanent injunction. Adverlam court fees are not payable at all.

14. That defendants 1 and 2 are not entitled to receive any compensation from the plaintiffs under Section 35(A) and Section 95(B).

15. That as the counter-claim being deemed fit to be rejected, the claim of the plaintiffs is liable to be decreed with cost against the defendants.

Date :- 25.11.13

Plaintiffs
Ramesh Chandra Goyal and others
Through Sd/-

Sri Prashant Kumar Goyal, Advocate
Civil Court Compound, Bijnor

I, the plaintiff, do hereby verify today on 25.11.13 that the statements made in para-1 to 15 of the rejoinder are correct.

Sd/- Ramesh Chand Goyal

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of U.P. and others

Affidavit on behalf of Ramesh Chandra Goyal son of Late Shri Lallumal, resident of Mohalla Mahajanan, Town and Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad, presently resident of care of Dr. Sandeep Goyal, S.D. Puram, Kiratpur Road, City, Pargana, Tehsil and District Bijnor.

I do hereby state on oath that :-

1. That my name and address mentioned above are correct and I am pairokar of the plaintiff no. 1 in the above mentioned original suit and am also the advocate of the case and as such am well acquainted with the facts of the aforesaid plaint.
2. That the facts of the attached rejoinder have been read over and explained to me which I have fully understood and I do hereby verify the facts thereof.

3. That the statements made in para no. 1 and 2 of the affidavit are correct and true to the best of my knowledge. Nothing has been concealed. May God help me.

Date:-

Sd/- Ramesh Chand Goyal

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-4

(58)

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बिजनौर

मूल वाद स0 586/2013

रमेशचन्द गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

प्रतिवाद पत्र मिनजानिब- प्रतिवादीगण 3 व 4 की ओर से

==

1- यह कि वाद पत्र का पैरा न01 अस्वीकार है ।

2- यह कि वाद पत्र का पैरा न02 अस्वीकार है।

3- यह कि वाद पत्र का पैरा न03अस्वीकार है।

4- यह कि वाद पत्र का पैरा न04 अस्वीकार है ।

5- यह कि वाद पत्र का पैरा न05 अस्वीकार है ।

6- यह कि वाद पत्र का पैरा न06 अस्वीकार है।

7- यह कि वाद पत्र का पैरा न07 जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

8- यह कि वाद पत्र का पैरा न08जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

9- यह कि वाद पत्र के पैरान09 मे विवादित आराजी नगर पालिका की सीमा के अन्दर स्वीकारहै,शेष अस्वीकार है।

10- यह कि वाद पत्र का पैरान010 अस्वीकार है।

11- यह कि वाद पत्र का पैरा न011 जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

12- यह कि वाद पत्र का पैरान012 अस्वीकार है।

13- यह कि वाद पत्र का पैरान013 जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

14- यह कि वाद पत्र का पैरा न014 जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

15- यह कि वाद पत्र का पैरा न015 अस्वीकार है।

16- यह कि वाद पत्र का पैरान016 अस्वीकार है ।

17- यह कि वाद पत्र का पैरा न017 अस्वीकार है।

18- यह किवाद पत्र का पैरान018 अस्वीकार है ।

19- यह कि वाद पत्र का पैरान019 अस्वीकार है।

20- यह कि वाद पत्र का पैरा न020 जिस तरह तहरीर है,अस्वीकार है।

-2-

59

21- यह कि वाद पत्र का पैरा न021 ~~अस्वी~~ असम्बन्धित है, स्वीकार-अस्वीकार की आवश्यकता नही है ।

22- यह कि वाद पत्र का पैरा न022 मे विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है ।

23- यह कि कोई अनुतोष बहक वादीगण स्वीकार नही है ।

विशेष कथन

24- यह कि वादीगणद्वारावाद सरासर गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर दायर कियां गयाहै जो कानूनन नाकिस है और व्यय सहित खारिज होने योग्य है ।

25- यह कि वादीगण का यह कहना गलत हैकि वादीगण, प्रतिवादीन05 अथवा श्रीमति चन्द्रावती, फर्म लल्लूमल कथित विक्रय दिनांकित 28-3-1974 द्वारासत्यप्रकाश शर्मा किसी प्रकार के स्वामी व अधिपति रहे, वादीगण आदि उपरोक्त हरगिज विवादित आराजी के विधिक स्वामी एंव वैध अधिपति/कब्जेदार नही है ।

26- यह कि उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी वस्तुतः आधार वर्ष 1359 फसली मे बंजर व तालाब के रूप मे दर्ज हैतथा इसकी वास्तविक स्वामी उत्तर प्रदेश सरकार है तथा जो नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत है, उसके अलावा ग्राम किरतपुर की खातोनी {एन0जेड0ए0} 1367 फसली के खाता स0-14 पर दीगर लेजर अंकित है । किन्तु तत्पश्चात भी रेवेन्यू एन्ट्री मे वादीगण के विक्रेता सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का नाम व कब्जा दर्ज करने के सम्बन्ध मे जो प्रविष्टि है, वह बगैर किसी विधिक आधार/ निर्णयके दर्जहै जो फर्जी एन्ट्री हैतथाउक्त फर्जी एन्ट्री के आधार पर सत्यप्रकाश को किसी प्रकारके वैध अधिकार विवादित सम्पत्ति मे प्राप्त नही हुये जिस कारणउक्त सत्यप्रकाश के द्वारा निष्पादित बैनामे दिनांकित 28-3-1974 के आधार पर वादीगण आदि को भी कोई हकूक वैध स्वामित्व एंव कब्जे की

12/12/13

-3-

(60) 862/3

बाबत प्राप्त नही हुये है। इसके खिलाफ इसके समस्त कथन वादीगण गलत है तथा वादीगण के विक्रेता ने यदि बगैर विधिक स्थिति के यदि कोई मुआवजा हासिल कर लिया थातो उसका कोई लाभ वादीगण नही उठा सकते है ।

27- यह कि वादीगणद्वारा वादमे निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है किन्तु वादीगणके स्वामित्व केसम्बन्ध मे पैरा न026 के आलोक मे विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्धमे विचारण किया जाना आवश्यक है । जिसके बगैर कोई अनुतोष निषेधाज्ञा का वादीगण के हक मे प्रदान नही कियाजा सकता ,कानूनन इस प्रकारके वाद कीसुनवाई के लिए स्वामित्व की घोषणा अति आवश्यक है । वादीगणकिसी फर्जी इन्द्राज का कोई लाभ नही उठा सकते है, जिसके विचारणके लिए राजस्व न्यायलय ही सक्षम है वाद हाजा धारा-331 खात्मा जमीदारी {यू0पी0जेड ए} कानून से वाधित है।

28- यह कि जहाँ तक प्रतिवादीगण जबाब देह द्वारा निर्माण की स्वीकृति किये जाने काप्रश्न है यह बात उल्लेखनीय हैकि किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकारके निर्माण की स्वीकृति दियेजाने के सन्दर्भ मे ये उक्त भूमि के स्वामित्व की बाबत कोई न्यायिक निर्णय प्रतिवादीगण जबाब देह द्वारा नही दिया जाताहै, वादीगणने यदि फर्जी प्रविष्टि वाले दस्तावेज प्रस्तुत करके निर्माणकी स्वीकृति प्राप्त करली है तो उसका कोई लाभ वादीगण नही उठा सकताहै, और न ही निर्माण की स्वीकृति स्टोपिल {विबंध} का प्रभाव रखती है । प्रतिवादीगण जबाब देह को उक्त सम्बन्धमे समस्त कार्यवाही रेवेन्यू कलेक्शन के सम्बन्ध मे होती है तथा स्वामित्व के सम्बन्ध मे विवाद होने पर ही उक्त स्वीकृति का कोई लाभ नही लिया जा सकता है ।

29- यह कि वादीगण बदनियत है वादीगण ने प्रतिवादीगण जबाब देह को अन्धेरे मे रखकर गलत दस्तावेजो के आधार पर निर्माण की स्वीकृति एवं गृहकर आरोपण आदि कराया तथा वादीगण ने अपने विक्रेता सत्यप्रकाश

...4

-4-

(61)

662/4

के अवैध स्वामित्व एंव कब्जे के तथ्यो को छिपाकर वाद हाजा दायर किया है । वादीगण क्लीन हैण्ड नही है । वाद हाजा निरस्त होने योग्य है।

30- यह कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरान017 मे कुल 38 दुकान व बैंक तथा निवास स्थान होने का उल्लेख किया गयाहै । उक्त सम्पत्ति की बाजारू कीमत कम से कम एक करोड़ है ।वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ।

31- यह कि वादीगण को सही तौर से विधिक व्यवस्था के अनुरूप नोटिस देकर बेदखली हेतु निर्देश दिया गयाहै ।वादीगण को विवादित आराजी परअपना अवैधकब्जा बनाये रखने का कोई आधार नही है।

32- यह कि वादीगणद्वारा वाद हाजा मैला-फाईड है तथा प्रतिवादीगण जबाब देह हर्जा खास जबाब देही पाने के अधिकारी हैतथा वाद हाजा सव्यय निरस्त होने योग्य है ।

प्रतिवादीगण स०2 व 3 व 4

आज दिनांक- 12-12-13 बमुकाम बिजनौर
तसदीक की जाती हैकि मजमून प्रतिवाद पत्र
मेरे निजी ज्ञानानुसार सत्य है।

द्वारा

12/12/13
एडवोकेट
... 3068/92
... कोर्ट, बिजनौर

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA Rs.5

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA Rs.5

482

9163

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) बिजनौर

मूल वाद स0 586/2013

रमेशचन्द गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

शपथ पत्र मिनजानिब- इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री उदय वीर सिंह

निवासी- नगर पालिका परिषद बिजनौर

1- यह कि मै शपथपूर्वक बयान करताहूं कि मेरा उपरोक्त नाम एंव पता सही है तथामेरे नाम एंव पते का कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्तपते पर नही रहताहै तथामै उपरोक्त वाद मे प्रतिवादी स0 3 हूं।

2-यह कि मै शपथपूर्वक बयानकरताहूं कि मै प्रतिवादी स03 व 4 उपरोक्त वाद मे प्रतिवाद पत्र दाखिल कर रहे है तथा उपरोक्त प्रतिवाद पत्र मे दिये गये समस्त तथ्य विवरण मैने पढकर सुन कर समझ लिये है जो कि मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एंव सही है तथा प्रतिवाद पत्र शपथ पत्र का भाग ही पढा जाये।

3- यह कि मै शपथपूर्वक बयानकरताहूं किशपथ पत्र का पैरा न01 ता 2 तक मेरे निजी ज्ञानानुसार सत्यहै। ईश्वरमेरी मदद करे।

ह0-

गवाह

ह0-

09/12/13

12/13

09/12/13

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD)
BIJNOR

ORIGINAL SUIT NO. 586/2013

Rameshchand Goyal and others Vs. State of U.P. and others

Counter-Claim on behalf of Defendant No. 3 and 4

1. That paragraph no. 1 of the plaint is denied.
2. That paragraph no. 2 of the plaint is denied.
3. That paragraph no. of the plaint is denied.
4. That paragraph no. 4 of the plaint is denied
5. That paragraph no. 5 of the plaint is denied.
6. That paragraph no. 6 of the plaint is denied.
7. That the statements made in paragraph no. 7 of the plaint is denied.
8. That the statements made in paragraph no. 8 of the plaint is denied.
9. That the statements made in paragraph 9 of the plaint relating to the disputed Arazi within the territory of Municipality is admitted, remaining is denied.
10. That paragraph 10 of the plaint is denied.

11. That the statements made in paragraph No. 11 of the plaint is denied
12. That paragraph 12 of the plaint is denied.
13. That the statements made in paragraph 13 of the plaint is denied.
14. That the statements made in paragraph 14 of the plaint is denied.
15. That paragraph no. 15 of the plaint is denied.
16. That paragraph 16 of the plaint is denied.
17. That paragraph no. 17 of the plaint is denied.
18. That paragraph 18 of this petition is denied.
19. That paragraph 19 of the plaint is denied.
20. That the statements made in paragraph no. 20 of the plaint is denied.
21. That the statements made in paragraph no. 21 of the plaint is irrelevant, there is no need for admission or denial.
22. That the valuation of the disputed property has been undervalued in paragraph no. 22 of the plaint.

23. That no argument for relief is admitted by the plaintiffs.

Special Statements

24. That the suit has been filed by the plaintiffs on the basis of absolutely wrong and false facts, which are legally void and are liable to be dismissed with costs.

25. It is wrong for the plaintiffs to state that the plaintiff, defendant no. 5 or Smt. Chandravati, firm Lallumal Katiyat Satyaprakash Sharma was any kind of owner or possessor by the said sale dated 28-3-1974, the plaintiffs and others are not at all the legal owners and possessors of the above disputed land.

26. It is evident from the perusal of the available documents that the disputed Arazi is actually recorded as desert and pond in the base year 1359 Fasli and its actual owner is the Government of Uttar Pradesh and it is within the limits of the Municipality, apart from that, another ledger is mentioned on Khata No.-14 of Khatauni (NZA) 1367 Fasli of village Kiratpur. But even after that, the entry in the revenue entry regarding registering the name and possession

of the seller of the plaintiffs, Satyaprakash son of Krishnadutt, is without any legal basis/decision, which is a fake entry and on the basis of the said fake entry, Satyaprakash did not get any legal right in the disputed property, due to which, on the basis of the deed dated 28-3-1974 executed by the said Satyaprakash, the plaintiffs and others also did not get any right, legal ownership and possession. Regarding this, all the allegations of the plaintiffs are wrong and if the seller of the plaintiffs had received any compensation without any legal status, then the plaintiffs cannot avail any benefit of it.

27. That the plaintiffs have sought the grant of injunction in the suit, but in the light of para no. 26 regarding the ownership of the plaintiffs, it is necessary to consider the ownership of the disputed property. Without which no grant of injunction can be granted in favour of the plaintiffs, legally declaration of ownership is very necessary for hearing such a suit. The plaintiffs cannot take advantage of any fake

entry, for the trial of which the Revenue Court is competent to entertain this suit under Section 331 of the Zamindari (U.P.Z.A.) Act

28. That so far as the question of approval of construction by the defendants' reply is concerned, it is pertinent to note that in the context of approval of any type of construction on any land, no judicial decision has been given by the defendants' reply regarding the ownership of the said land. If the plaintiffs have obtained approval for construction by submitting documents with different entries, then the plaintiffs cannot take any benefit of it, nor does the approval of construction have the effect of acceptance estoppel (waiver). All the proceedings in the said regard of the defendants' reply are in relation to revenue collection and no benefit of the said approval can be taken only if there is a dispute regarding ownership.

29. That the plaintiffs have bad intentions, the plaintiffs kept the defendants in the dark and got the

construction approved and the tax imposed etc. on the basis of wrong documents and the plaintiffs got the money through their seller Satyaprakash. The suit has been filed by concealing the facts of illegal ownership and possession of the land. The plaintiffs are not clean handed. The suit is liable to be dismissed.

30. That the plaintiffs have mentioned in paragraph no. 17 of their plaint that there are a total of 38 shops, banks and residential places. The market value of the said property is at least Rs. 1 crore. The plaintiffs have undervalued the suit.

31. That the plaintiffs have been properly served notice in accordance with law and have been directed to vacate the house. The plaintiffs have no basis to continue their illegal occupation of the disputed land.

32. That the suit filed by the plaintiffs is sloppy and the defendants are entitled to receive special compensation and the suit is liable to be dismissed with cost.

Sd/-
Defendant No. 3 and 4

I do hereby verify today on 12-12-13 at Bijnor that the contents of the counter claim is correct and true to my knowledge.

Through
Sd/-
12.12.13

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD) BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586/2013

Rameshchand Goyal and others Vs. State of U.P. and others

Affidavit on behalf of Inderpal Singh son of Shri Uday Veer Singh resident of Nagar Palika Parishad Kiratpur

1. That I state on oath that my above name and address are correct and no other person with my name and address lives on the above mentioned house and I am defendant No. 3 in the above case.
2. That I state on oath that I, defendants 3 and 4, are filing a counter affidavit in the above case and I have read, heard and understood all the facts given in the above counter affidavit which are true and correct to the best of my knowledge and belief and the counter affidavit should be read as a part and parcel of the affidavit.
3. I swear that paragraph no. 1 to 2 of this affidavit is true to the best of my knowledge. May god help me.

G.S. Sd/-

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-5

(1)

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

रमेश चन्द्र गोयल बनाम राज्य सकार उ0 प्र0 आदि

प्रतिउत्तर पत्र विरूद्ध प्रतिवाद पत्र, प्रतिवादी नं0 3 व 4 दिनांकित 12.12.2013, वादीगण की ओर से :–

1. यह कि प्रतिवाद पत्र के पैरा नं0 1 ता 32 गलत है और वादीगण को स्वीकार नहीं है।

2. यह कि वाद ग्रस्त खसरा नं0 2181 व 2182/2, राज्य सरकार उ0 प्र0 या नगर पालिका परिषद के स्वामित्व के तालाब व बंजर की आराजी नहीं रही है। बल्कि वादीगण विवादित खसरा नं0 2181 व 2182/2 के विधिक स्वामी एवं अधिपति अपने अन्य हिस्सेदारों के साथ लगातार चले आते हैं।

3. यह कि ख0 नं0 2181 व 2182/2 वर्ष 1359 फ0 के बंजर व तालाब के रूप में दर्ज नहीं रहा है, ना ही श्रेणी–6 अथवा श्रेणी–9 का तालाब या बंजर दर्ज रहा है।

4. यह कि स्वीकृत रूप में उपरोक्त आराजी अविस्मरणीय समय से नगर पालिका परिषद, किरतपुर व उससे पूर्व Notified Area किरतपुर की सीमाओं के अन्दर एन0 जे0 ए0 क्षेत्र में रही है और यह एक स्वीकृत तथ्य है। ऐसी अवस्था में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 का कोई भी प्रावधान प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होता है।

5. यह कि किसी निजी तालाब की आराजी को प्रतिवादीगण उ0 प्र0 सरकार या स्थानीय निकाय के स्वामित्व की आराजी कहने या लिखने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा दाखिल दस्तावेजों, जो वर्ष 1337 फ0 की खेवट है, से यह प्रमाणित है कि उक्त खसरा नम्बरान 2181 व 2182/2 पर निजी लोगों के नाम दर्ज रहे हैं और प्रतिवादी नं0 1 व 3 के नाम कभी दर्ज नहीं रहे।

6. यह कि उपरोक्त वर्णित इसी तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि 1359 फ0 का इन्द्राज श्रेणी 14 (3), बंजर (2) एवं श्रेणी–1 के तौर पर इन्द्राज है और उक्त इन्द्राज हर्गिज सरकारी भूमि का इन्द्राज नहीं माना जा सकता और ना ही इसके आधार पर विवादित भूमि को सार्वजनिक तालाब या बंजर नहीं माना जा सकता है।

7. यह कि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, किरतपुर के रजिस्टर मालिकान में भी खसरा नं0 2181 व 2182/2 का कोई इन्द्राज नहीं है और राजस्व अभिलेखों में भी श्रेणी–6 में कोई भूमि अकृषिक भूमि या जलमग्न भूमि केवल सड़क

Rameshchandra Goyal

निरन्तर ..... 2 पर

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 586 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल बनाम राज्य सकार उ0 प्र0 आदि

(2)

पुख्ता में अधिगृहित भूमि के अलावा नदारद है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि खसरा नं0 2181 व 2182/2 सड़क में अधिगृहित अंश को छोड़कर शेष भूमि जलमग्न भूमि के रूप में कभी नहीं रहीं। इसके विपरीत कथन प्रतिवाद असत्य एवं निराधार है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1380 से 1382 फ0 वर्ष 1391 से 1400 फ0 व वर्ष 1401 से 1406 फ0 के नकल बस्ता खतौनी ग्राम किरतपुर (अन्दर हदूद) की सत्यापित प्रतिलिपि वादीगण प्रस्तुत कर रहे है।

8. यह कि **प्रतिवादीगण नं0 3 व 4** का यह कथन कि सत्य प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त के नाम का इन्द्राज व **कब्जा** की प्रविष्टि बगैर किसी आधार व अधिकार के हो गलत है। **उक्त इन्द्राज** को हर्गिज फर्जी इन्द्राज नहीं माना जा सकता, बल्कि उक्त इन्द्राज खसरा नं0 2181 एवं खसरा नं0 2182/2 पर स्व0 सत्य प्रकाश का वैधानिक कब्जा होने के **कारण ही प्रतिवादी** नं0 1 के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रश्नगत् खसरा **नम्बरान** पर दि0 18.06.1961 को विधि पूर्वक राजस्व अभिलेखों में किया गया और स्व0 **सत्यप्रकाश** का नाम बतौर सीरदार राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा।

9. यह कि यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि बहैसियत सीरदार स्व0 सत्य प्रकाश को ख0 नं0 2181 व 2182/2 की भूमि सड़क में अधिगृहित करते हुये, स्व0 सत्य प्रकाश को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा मालिक व काबिज माते हुये, मुआवजा दिया गया। यदि इन्द्राज फर्जी हुआ होता तो ये कदापि सम्भव नहीं था कि स्व0 सत्यप्रकाश को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि अधिगृहित करके मुआवजा दिया जाता। इसके विपरीत कथन प्रतिवाद पत्र गलत है।

10. **यह कि यह तथ्य अत्यन्त** महत्वपूर्ण है कि दि0 15.09.1970 को परगना अधिकारी **महोदय, नजीबाबाद द्वारा** स्व0 सत्यप्रकाश को लगान का 20 गुना जमा करने पर सनद भूमिधरी प्रदान की गई और उक्त दिनांक से स्व0 सत्यप्रकाश ख0 नं0 2181 व 2182/2 **के संक्रमणीय भूमिधर** हो गये।

11. यह कि **यह तथ्य** भी उल्लेखनीय है कि स्व0 सत्यप्रकाश ने खसरा नं0 2182/5 में **से 18 बिस्वे 10 बिस्वांसी** पुख्ता रकबा मिस्त्री मौ0 इस्माईल पुत्र मिस्त्री मौ0 इब्राहिम को **व इसी खसरा नं0 2182/5** में से 1 बिस्वा 12 बिस्वांसी 10 कच्छवांसी रकबा अ0 वाहिद पुत्र अ0 समद को विक्रय किया तथा इसी खसरा नम्बर में से 1 बिस्वे 10 बिस्वांसी रकबा **मौ0 अली** उर्फ मुंन्ने पुत्र महबूल्ला को विक्रय किया और इन तीनों क्रेताओं के नाम भी **राजस्व अभिलेखों में क्रमशः दि0** 07.07.1972, 03.03.1972 को इन्द्राज हो गये और ये **लोग आज भी ख0 नं0 2182/5** के अपने–2 क्रय किये गये रकबों पर काबिज चले आते **हैं। यह उल्लेखनीय है कि** ये तीनो बैनामें फर्म लल्लूमल रमेश चन्द्र को किये गये बैनामें से पूर्व के हैं।

12. यह कि वादीगण के स्वामित्व का कोई भी विवाद प्रस्तुत वाद में नहीं है, क्योंकि **वादीगण** Recorded Tennure holder हैं ओर एक वैध बैनामे से वादग्रस्त भूमि के **लगातार 39 वर्षो से स्वामी** व अधिपति बतौर संक्रमणीय भूमिधर चले आते हैं। वादीगण **का दावा हर्गिज धारा 331** खात्मा जमीदारी अधिनियम के प्राविधानों से बाधित नहीं है।

निरन्तर ...... 3 पर

(3)

13. यह कि प्रवितादीगण 3 व 4 ने वादीगण को निर्माण की स्वीकृतियाँ एवं कर निर्धारण पंजिका में वादीगण व अन्य साझीदारों के नाम का स्वामित्व के खाने में इन्द्राज, वादीगण व अन्य साझीदारों को वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी व अधिपति मानते हुये ही दी व करे। अब प्रतिवादीगण 3 व 4 अपनी स्वीकारोक्तियों से यह कहकर नहीं बच सकते कि निर्माण की स्वीकृतियाँ एवं कर निर्धारण पंजिका में नाम का इन्द्राज केवल वसूली के सम्बन्ध में होता है। प्रतिवादीगण अपनी स्वीकारोक्तियों से बाधित हैं और अब इसके विपरीत कहने के लिए Estopped है।

14. यह कि वादीगण ने कोई भी निर्माण की स्वीकृति व अपने नामों का कर निर्धारण पंजिका में इन्द्राज प्रतिवादी नं0 3 व 4 को अन्धेरे में रखकर गलत दस्तावेजों के आधार पर नहीं कराया, बल्कि प्रतिवादीगण 3 व 4 ने पूर्ण जाँच पड़ताल करने के बाद ही एवं वादीगण आदि साझेदारों का स्वामित्व व अध्यासन सही पाकर कर निर्धारण पंजिका में स्वामी के खाने में सन् 1980–81 से लगातार रखा एवं समय–2 पर निर्माण की स्वीकृति दी। इसके विपरीत कथन प्रतिवाद पत्र गलत है।

15. यह कि वाद के मूल्यांकन के सम्बन्ध में आपत्ति निराधार है। मामला सम्पत्ति की कीमत का नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा गलत व अवैधानिक तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये, मन माने तरीके से वादीगण व अन्य साझीदारों को ख0 नं0 2181 से बेदखल कर देने का नोटिस देने के कारण वाद योजित करना पड़ा है और मूल्यांकन के वाद बिन्दु का निस्तारण पहले ही माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

16. यह कि प्रतिवादी नं0 3 व 4 का अवैध व नाकिस नोटिस दि0 13.08.2013 को मनमाने व अनाधिकृत तरीके से बेदखल करने का निर्देश वादीगण व अन्य साझेदारों की सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर दिया जाना एक अवैध व अनाधिकृत कार्य था। जिसको वादीगण ने सही तौर से चनौती दी हैं। वादीगण का कब्जा हर्गिज अवैध नहीं है।

17. यह कि प्रविताद पत्र उपरोक्त कारणोंवश अस्वीकार किया जाकर, वादीगण का दावा प्रवितादीगण के विरूद्ध सव्यय डिग्री किये जाने योग्य है।

दिनांक :– 17/12/13

Rameshchandra

मैं वादी नं0 1 आज दि0 16.12.13 को स्थान बिजनौर में तस्दीक करता हूँ कि प्रतिउत्तर पत्र के पैरा नं0 1 ता 17 के कथन मेरे निजी ज्ञान में सच एवं सही हैं।

Rameshchandra

वादीगण
रमेश चन्द्र गोयल आदि
द्वारा
17/12/13
श्री प्रशान्त कुमार गोयल, एड0
सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर

व 2 मेरे ज्ञानानुसार सच 3. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त का पैरा सं0 1 व 2 मेरे ज्ञानानुसार सच 3. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त का पैरा सं0 1

मेरी मदद करें। एवम् सही हैं। कुछ छुपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। एवम् सही हैं। कुछ छुपाया नहीं गया है। ईश्व

दिनांक :– 16.12.13

Ramchand Goel

दिनांक :– 16.12.13

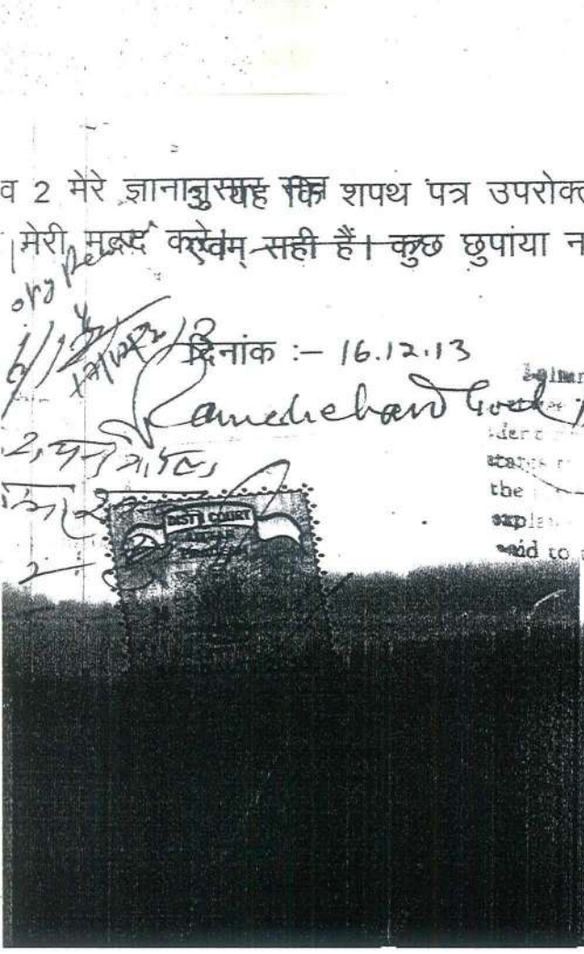

Ramchand Goel

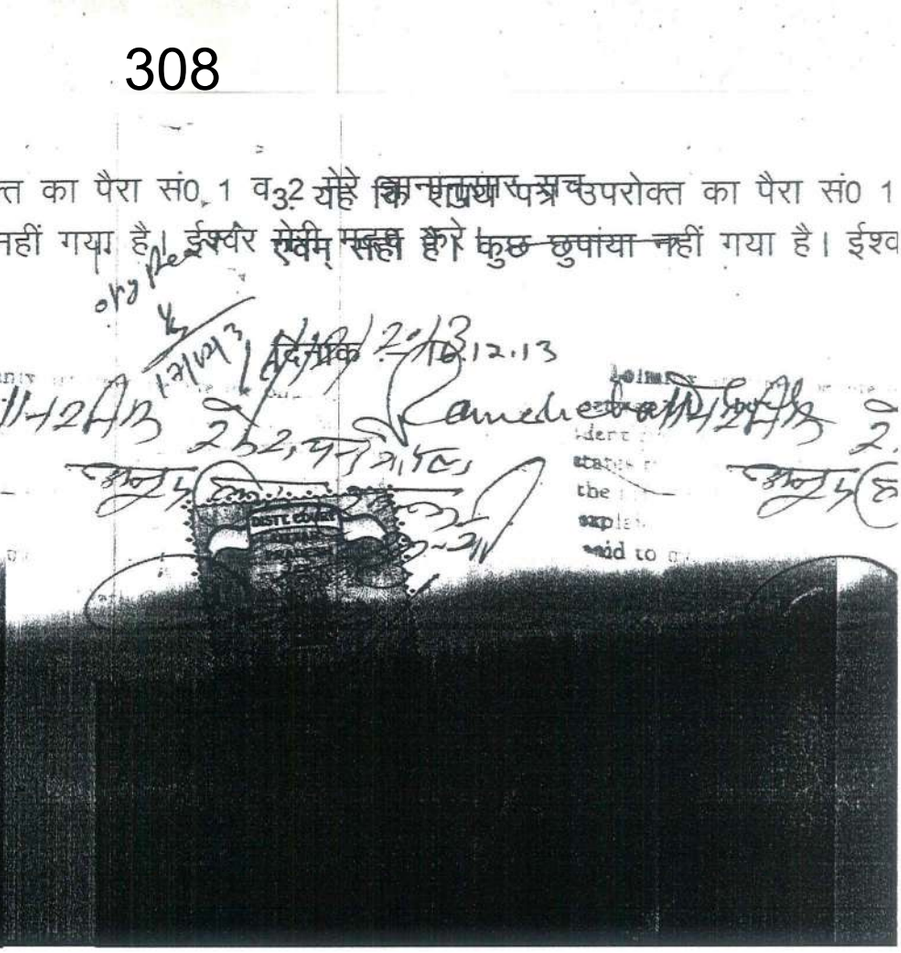

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

Ramesh Chandra Goyal Vs. State of U.P. and others

Rejoinder on behalf of the plaintiffs to the counter-claim filed by defendant no. 3 and 4 dated 12.12.2013:-

1. That the statements made in paragraphs 1 to 32 of the counter-claim are incorrect and are not admitted.
2. That the disputed Khasra No. 2181 and 2182/2 is not a pond or desert land owned by the State Government of Uttar Pradesh or the Municipal Council. Rather, the plaintiffs are the legal owners and owners of the disputed Khasra No. 2181 and 2182/2 along with their other shareholders.
3. That Khasra No. 2181 and 2182/2 has not been recorded as desert land or pond of the year 1359 F., nor has it been recorded as category-6 or category-9 pond or desert land.
4. That the above mentioned land has been in the NJA area within the limits of Nagar Palika Parishad, Kiratpur and before that Notified Area Kiratpur since

time immemorial and this is an accepted fact. In such a situation, no provision of UP Zamindari Abolition Act, 1950 is applicable to the present case.

5. That the defendants are not entitled to call or write the land of a private pond as the land owned by the UP government or the local body. The documents filed by defendant no. 1 and 2, which are Khewat of the Fasli year 1337, prove that the names of private persons have been registered on the said Khasra nos. 2181 and 2182/2 and the names of defendant no. 1 and 3 were never registered.

6. It is proved from the above mentioned fact that the entry of the Fali year 1359 is as Category 14 (3), Desert (2) and Category-1 and the said entry can never be treated as entry of Government land nor on this basis the disputed land can be treated as public pond or barren.

7. It is pertinent to mention here that there is no entry of Khasra No. 2181 and 2182/2 in the register of owners of Nagar Palika Parishad, Kiratpur and in the

revenue records also there is no land in category-6, non-agricultural land or submerged land, only road apart from the acquired land, it is missing in solid (pukhta). There is a clear implication is that except the acquired portion in Khasra No. 2181 and 2182/2 road, the rest of the land was never submerged. The counter-claim to the contrary is false and baseless. In this regard, the plaintiffs are presenting the certified copies of Nakal Basta Khatauni village Kiratpur (within the boundary) of the Fasli years 1380 to 1382, Fasli years 1391 to 1400 and the Fasli years 1401 to 1406.

8. That the statement of defendants no. 3 and 4 that the entry and possession of the name of Satya Prakash son of Krishna Dutt was made without any basis and authority is wrong. The said entry cannot be considered a fake entry at all, rather the said entry was made in the revenue records on 18.06.1961 by the revenue officers and employees of defendant no. 1 on the Khasra Pan Numberan in question because

of the legal possession of late Satya Prakash on Khasra no. 2181 and Khasra no. 2182/2 and the name of late Satya Prakash remained recorded in the revenue records as Sirdar.

9. It is also pertinent to mention that while acquiring the land of Khas No. 2181 and 2182/2 in the road in the capacity of Sirdar, Late Satya Prakash was compensated by Defendant No. 1 considering him the owner and occupant. If the entry had been fake, then it would not have been possible that Late Satya Prakash would have been compensated after the land was acquired by Defendant No. 1. The statement to the contrary in the counter-claim is wrong.

10. It is a very important fact that on 15.09.1970, the Sub-Divisional Officer, Najibabad granted a land title to Late Satyaprakash on depositing 20 times the rent and from the said date, Late Satyaprakash became the transferable landholder of Khas No. 2181 and 2182/2.

11. It is also pertinent to note that Late Satyaprakash sold 18 Biswas 10 Biswansi solid area from Khasra No. 2182/3 to Mistri Md. Ismail son of Mistri Md. Ibrahim and 1 Biswa 12 Biswansi 10 Kachchwansi area from the same Khasra No. 2182/2 to A. Wahid son of A. Samad and 1 Biswa 10 Biswansi area from the same Khasra No. to Md. Ali alias Munne son of Mehboobullah and the names of these three buyers were also entered in the revenue records on 07.07.1972, 03.03.1972 respectively and even today these people are in possession of the areas purchased by them in Khasra No. 2182/3. It is pertinent to note that these three deeds are prior to the deed made with the firm Lallumal Ramesh Chandra.

12. There is no dispute of ownership of the plaintiffs in the present case, because the plaintiffs are Recorded Tenure Holders and have been the owner and occupant of the disputed land for 39 consecutive years through a valid deed as transferable landholder. The claim of the plaintiffs is not at all

barred by the provisions of Section 331 of the Abolition of Zamindari Act.

13. That defendants 3 and 4 gave permission for building to the plaintiffs and entered the names of the plaintiffs and other partners in the ownership column in the assessment register, considering the plaintiffs and other partners as the owners and possessors of the suit property. Now, defendants 3 and 4 cannot escape from their admissions by saying that permission for building and entry of names in the assessment register is done only in relation to recovery. The defendants are bound by their admissions and are estopped from saying the contrary.

14. That the plaintiffs did not get any construction sanctioned or their names entered in the tax assessment register on the basis of wrong documents by keeping defendant no. 3 and 4 in the dark, rather, after thorough investigation and finding the ownership and occupation of the plaintiffs and other

partners correct, defendants 3 and 4 kept them in the owner's section in the tax assessment register continuously since 1980-81 and approved the construction at time to time. The statement contrary to it in the counter-claim is wrong.

15. That the objection regarding the valuation of the suit is baseless. The issue is not about the price of the property, but the suit had to be filed because the defendants 1 to 4 wrongly and illegally, without giving an opportunity of hearing, arbitrarily issued notice to the plaintiffs and other partners to evict them from Khas No. 2181 and the issue of valuation has already been settled by the Hon'ble Court.

16. That the illegal and invalid notice issued by defendants no. 3 and 4 on 13.08.2013 for eviction in an arbitrary and unauthorised manner without providing an opportunity of hearing to the plaintiffs and other partners was an illegal and unauthorised act. This has been rightly challenged by the plaintiffs. The possession of the plaintiffs is not illegal at all.

17. That the writ of resignation is rejected for the reasons aforesaid and the claim of the plaintiffs is liable to be dismissed with costs as against the plaintiffs.

Date :- 17.12.13
Sd/- Ramesh Chandra Goyal

Sd/-
Ramesh Chandra Goyal and others
Through
Sd/- 17.12.13
Sri Prashant Kumar Goyal, Advocate
Civil Court Compound, Bijnor

I, the plaintiff no. 1, do hereby solemnly verify today on 16.12.13 that the statements made in para no. 1 to 17 of the Rejoinder are correct and true to the best of my knowledge.

Sd/-Ramesh Chandra Goyal etc.
Sd/-

3. That the statements made in para 1 and of the aforesaid affidavit are correct and true to the best of my knowledge and nothing has been concealed. May God help me.

Date: 16.12.13
Sd/- Rameshchandra Goyal

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-6

न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी0 डि0 बिजनौर।
वाद सं0 /
सुरेश कुमार बनाम उ0 प्र0 राज्य आदि

प्रतिवाद पत्र मिनजानिब– प्रतिवादी

1:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 1 स्वीकार हैं।
2:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 2 स्वीकार हैं।
3:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 3 स्वीकार हैं।
4:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 4 स्वीकार हैं।
5:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 5 स्वीकार हैं।
6:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 6 में 2181/1 रकबई 0–7–0 व 2182/2 रकबई 0–4–10 अर्जित करना स्वीकार हैं।
7:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 7 स्वीकार हैं।
8:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 8 स्वीकार हैं।
9:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 9 स्वीकार हैं।
10:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 10 स्वीकार हैं।
11:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 11 में बतौर फर्म पार्टनर नगर पालिका के गृहकर पंजीका में वादी नं0 1 का नाम अंकित होना स्वीकार है शेष जिस तरह तहरीर है,स्वीकार नहीं हैं।
12:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 12 अस्वीकार हैं।
13:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 13 में वादी व प्रतिवादी नं0 5 का नोटिस भेजना स्वीकार हैं।
14:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 14 स्वीकार हैं। परन्तु खसरा नं0 2181 तालाब भूमि होना हरगिज स्वीकार नहीं है।
15:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 15 स्वीकार हैं।
16:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 16 स्वीकार हैं।
17:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 17 स्वीकार हैं।
18:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 18 स्वीकार हैं।
19:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 19 स्वीकार हैं।
20:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 20 स्वीकार हैं।
21:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 21 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार नहीं हैं।
22:– यह कि वाद पत्र का पैरा नं0 22 कानूनी हैं, जिसे स्वीकार एवं अस्वीकार की आवश्यकता नहीं हैं।
23:– यह कि वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार हैं।

विशेष कथन

1:– यह कि कब्ल में कस्बा किरतपुर महाल चौहान खेवट नं0 1 खसरा नं0 2181 व 2182 के जमींदार राजाराम भरत सिह पुत्र राजा रायडालचन्द थे।
2:– यह कि खसरा नं0 2181 व 2182 कस्बा किरतपुर अन्दर हदूद स्थानीय निकाय थे, लिहाजा नम्बरान उपरोक्त की जमींदारी अधिनियम सं0 1 सन 1951 से समाप्त नहीं हुई उक्त नम्बरान पर जेड0 ए0 एक्ट 1 सन 1951 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।
3:– यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्रों की जमींदारी समाप्ति के एक्ट नं0 8 सन 1957 बनाया।
4:– यह कि कस्बा किरतपुर शहरी क्षेत्र की जमींदारी समाप्ति हेतु सरकार द्वारा 1.7.1963 में अधिसूचना जारी की गयी तथा धारा 8 के अर्न्तगत उक्त नम्बरान सीमांकन अधिकारी उक्त कृषि भूमि घोषित किये गये।

30.1.14

यह कि विवादित नम्बरान पर बरवक्त सम्पत्ति शहरी जमींदार सत्य प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा बहैसियत सीरदार काबिज व दखील थे तथा बादहू दिनांक 18.9.1970 ई0 को सत्यप्रकाश द्वारा लगान का 20 गुना जमा करके विवादित नम्बरान में भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये

6:— यह कि सन 1968 में खसरा नं0 2181 क्षेत्रफल 0—7—0 व 2182 क्षेत्रफल 0—4—10 भूमि राज्य सरकार द्वारा वास्ते सडक अधिग्रहित कर ली गयी जिसका मुआवजा राज्य सरकार द्वारा सत्य प्रकाश शर्मा को विवादित नम्बरान का मालिक व काबिज स्वीकार करते हुऐ प्रदान किया गया।

7:— यह कि वाद को सत्य प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा ने उक्त नम्बरान के जुज भाग जो भूमि सडक अधिग्रहण में शेष बची थी, को दिनांक 28.3.1974 ई0 को फर्म लल्लूकमल रमेश चन्द्र द्वारा पार्टनर रमेश चन्द्र व सुरेश चन्द्र पुत्रगण श्री लाला लल्लूमल व राकेश कुमार पुत्र श्री वशेष चन्द्र व श्रीमति चन्द्रवती पत्नी लाला लल्लूमल को विक्रय कर दिया इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 वादग्रस्त सम्पत्ति पर अधिकार पूर्वक काबिज व दखील चले आते हैं।

8:— यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीगण दुकानात व प्रतिवादी नं0 5 ने विवादित नम्बर में 21 दुकानात, बैंक भवन व रिहायशी मकान जैसा वादीगण ने अपने वाद पत्र में पैरा नं0 17 में स्वीकार किया हैं, का निर्माण किया है जिसकी स्वीकृति नगर पालिका परिषद प्रतिवादी नं 3 द्वारा नियमानुसार समय—समय पर ली गयी, इस प्रकार विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 मालिक व काबिज चले आते हैं।

9:— यह कि विवादित नम्बरान में मौके पर कभी भी तालाब नहीं रहा और न ही खसरा नम्बरान कभी सम्पत्ति राज्य सरकार रहे हैं।

10:— यह कि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा बिना किसी अधिकार के वादीगण व प्रतिवादी उत्तरदाता को नोटिस दिनांक 30.8.2013 को दिये गये थे, उक्त नोटिस देने का कोई अधिकार प्रतिवादी नं0 3 को नहीं है और ना कभी रहा है क्योकि विवादित नम्बरान हसगिज भी प्रतिवादी नं0 3 व राज्य सरकार की सम्पत्ति नहीं रहे, नीज नोटिस में सुनवाई के नैसर्गिक सिद्धान्त का भी पालन नहीं किया गया हैं। नोटिस प्रतिवादी नं0 3 द्वारा गलत तौर से वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 को नफा नाजायज व दबाव देने के लिये दिये गये हैं।

11:7 यह कि प्रतिवादी नं0 3 नगर पालिका परिषद व प्रतिवादी राज्य सरकार विवादित नम्बरान सत्य प्रकाश व बादहू वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 की सम्पत्ति स्वीकार करते चले आ रहते हैं लिहाजा कथन सरकार कि विवादित भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति विबन्धन व मौन सहमति के सिद्धान्त से बाधित हैं।

उपरोक्त हालात में प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे स्वीकार किया जाये।

प्रतिवादी उत्तदाता

आज दिनांक 30.1.2014 स्थान बिजनौर सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रतिवाद पत्र का पूर्ण विवरण प्रस्तर सं0 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से सही है।

द्वारा—

न्यायालय सिविल जज सी0 डि0 बिजनौर।

मूलवाद सं0 586/2013

रमेश चन्द्र गोयल बनाम राज्य सरकार

शपथ पत्र मिनजानिब– राकेश कुमार गोयल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री बशेषचन्द्र गोयल निवासी मौ0 हसनपुरा निकट बस स्टेन्ड कस्बा व परगना किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1:– यह कि मैं उक्त वाद में प्रतिवादी नं0 5 हूँ और हालात से परिचित हूँ।

2:– यह कि मैने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पढा है, जिसे मैने पढकर सुनकर व समझकर अपना प्रतिवाद पत्र तैयार करायां है जिसमें वर्णित तथ्य पैरा नं0 1 लगायत 11 मे वर्णित तथ्य मेरी हिदायत पर लिखाये गये है जिन्हे मैने पढकर सुनकर व समझकर अपने हस्ताक्षरो के द्वारा सत्यापित कर दिया है और शपथ पत्र द्वारा सत्यापित करता हूँ।

3:– यह कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र को प्रतिवाद पत्र का भाग माना जाये तथा उसके साथ पढा सुना व समझा जाये।

4:– यह कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा नं0 1 ता 3 मेरे नीजि ज्ञान से संही है ना ही कुछ छिपाया गया है ना ही झूठ है ईश्वर मेरी मदद करें।

ग0श0

AFFIDAVIT DISTT. COURT UTTAR PRADESH 0189669

identi... states ... the affi... explained ... said to me.

on 30.1.14. Rakesh Kumar ... deponent ... the contents of ... read over and ... has been

ह0

Oath Commissioner, Bijnor

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE C.D. BIJNOR

CASE NO.

Suresh Kumar Vs. State of U.P. and others

Affidavit on behalf of the Defendant

1. That paragraph no. 1 of the plaint is admitted.
2. That paragraph no. 2 of the plaint is admitted.
3. That paragraph no. 3 of the plaint is admitted.
4. That paragraph No. 4 of the plaint is admitted.
5. That paragraph no. 5 of the plaint is admitted.
6. That the statements made in paragraph 6 relating to acquirement of 0-7-0 areas in 2181/1 and 0-4-10 area in 2182/2 is admitted.
7. That paragraph No. 7 of the plaint is admitted.
8. That paragraph no. 8 of the plaint is admitted.
9. That paragraph no. 9 of the plaint is admitted.
10. That paragraph no. 10 of the plaint is admitted.
11. That in para no. 11 of the plaint is admitted that the name of plaintiff no. 1 is mentioned as firm partner in the Nagar Palika's Holding Tax Register. The rest of the written statement is denied.

12. That paragraph no. 12 of the plaint is denied.

13. That the statements made in paragraph no. 13 relating to service of notice by the plaintiff and defendant no. 5 is admitted.

14. That Para No. 14 of the plaint is admitted. But it is not admitted at all that Khasra No. 2181 is pond land.

15. That paragraph no. 15 of the plaint is admitted.

16. That paragraph no. 16 of the plaint is admitted.

17. That paragraph no. 17 of the plaint is admitted.

18. That paragraph no. 18 of the plaint is admitted.

19. That paragraph no. 19 of the plaint is admitted.

20. That paragraph no. 20 of the plaint is admitted.

21. That the statements made in paragraph No. 21 of the plaint is not admitted.

22. That paragraph no. 22 of the plaint is legal, which does not require admission or denial.

23. That the relief sought in the plaint is admitted.

SPECIAL STATEMENTS

1. That in the past, the Zamindar of the town Kiratpur Mahal Chauhan Khevat No. 1 Khasra No. 2181 and 2182 was Rajaram Bharat Singh, son of Raja Rayadalchand.
2. That Khasra No. 2181 and 2182 were local bodies within the boundaries of Kiratpur town, hence the above mentioned numbers did not end under the Zamindari Act No. 1 of 1951. The provisions of Z.A. Act 1 of 1951 are not applicable on the above mentioned numbers.
3. That Act No. 8 of 1957 was made for the abolition of the Zamindari system in the areas falling under the local bodies of the Government of Uttar Pradesh.
4. That a notification was issued by the government on 1.7.1963 for ending the Zamindari system of the urban area of Kiratpur town and under section 8 the above mentioned numbers were declared as agricultural land by the Demarcation Officer.

5. That the property on the disputed Nambaran was currently occupied and registered by urban Zamindar Satya Prakash, son of Krishna Dutt Sharma, a Sirdar in the capacity of possession, and on 18.9.1970, Satyaprakash obtained landholding rights in the disputed Nambaran by depositing 20 times the rent.

6. That in the year 1968, land in Khasra No. 2181, area 0-7-0 and 2182, area 0-4-10 was acquired by the State Government for the purpose of road, for which, compensation was given to Satya Prakash Sharma by the State Government, accepting him as the owner and occupant of the disputed number.

7. That Satya Prakasa son of Krishna Dutt Sharma, on 28.3.1974, by the firm Lallukamal Ramesh Chandra, sold some (own) portion of the said Nambaran, son of Krishna Dutt Sharma, to partner Ramesh Chandra and Suresh Chandra, sons of Mr. Lala Lallumal and Rakesh Kumar, son of Mr. Vashesh Chandra and Mrs. Chandrawati, wife of Lala Lallumal. Thus,

plaintiffs and defendant no. 5 are in full possession and occupation of the suit property.

8. That in the above mentioned Khasra number, the plaintiffs have constructed shops and defendant no. 5 has constructed 21 shops, bank building and residential house in the disputed number, as accepted by the plaintiffs in para no. 17 of their plaint, whose approval was taken from time to time by Nagar Palika Parishad, defendant no. 3 as per rules. Thus, the plaintiffs and defendant no. 5 are the owners and occupants of the disputed land.

9. That there was never a pond at the spot in disputed number nor has the Khasra number ever been the property of the State Government.

10. That notices were issued by defendant no. 3 to the plaintiffs and the respondent on 30.8.2013 without any authority. Defendant no. 3 has no right to issue the said notices and never had any right because the disputed numbers are never the property of defendant no. 3 and the State Government. Also, the

natural principle of hearing has not been followed in the notice. Notices have been issued by defendant no. 3 to wrongly and to pressurize the plaintiffs and defendant no. 5 by imposing illegal profit.

11. That the defendant no. 3 Nagar Palika Parishad and the defendant State Government have been accepting the property of the plaintiffs and defendant no. 5 as the disputed property and hence it is said that the disputed land is the property of the State Government and is barred by the principle of estoppel and tacit consent.

In the above circumstances, the counter-claim be admitted and the suit of the plaintiffs along with costs should be allowed with cost.

Sd/-

Answering Respondent

I verify today on 30.01.2014 at Bijnor that the statements made in paragraph 1 to 11 of the counter-claim are correct and true to the best of my knowledge.

Sd/-

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE C.D. BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 / 2013

Ramesh Chandra Goyal Vs. State

Affidavit on behalf of Rakesh Kumar Goyal age 55 years son of Shri Basheshchandra Goyal resident of Mohalla Hasanpura, near bus stand town and Pargana Kiratpur Tehsil Najibabad District Bijnor.

I solemnly state on oath that-

1. That I am defendant no. 5 in the aforesaid case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have read the plaint submitted by the plaintiff, which have been read over, heard and explained to me and fully understood the same. The facts mentioned in paragraphs 1 to 11 have been written on my instructions, which I have verified by my signature after reading, hearing and understanding them and I verify them by affidavit.

3. That the aforesaid affidavit be considered as a part and parcel of the reply and be read, heard and understood the same.

4. That the statements made in paragraph no. 1 to 3 of my above affidavit are correct to the best of my knowledge, neither anything has been concealed nor is there any false, may God help me.

G.S. Lekhpal Singh

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-7

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बिजनौर।

मूलवाद संख्या 586/2013

रमेश चन्द गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

अतिरिक्त प्रतिवादपत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

1— यह कि उपरोक्त वाद में वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है.जिसमें कोई सत्यता नही है।

2— यह कि ग्राम किरतपुर के महाल चौहानान खेवट सं0 103 में अभिलेखों में राजाराय भारत सिंह पुत्र राजाराय डालचन्द्र कौम जाट निवासी साहनपुर का नाम अंकित है तथा खसरा सं0 1347 फसली के कॉलम सं05 में अंकित महाल चौहानान खेवट सं01 अंकित है जिसके कॉलम सं01 में खसरा सं0 2181 अंकित है जिसमें पड़ावा व तालाब अंकित है।

3— यह कि प्रश्नगत आराजी वर्ष 1359 फसली में वंजर व तालाब के रूप में दर्ज है और इसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सरकार है।

4— यह कि ग्राम किरतपुर की खतौनी (एन0जेड0ए0) 1367 फसली के खाता सं014 पर वंजर अंकित है तथा तत्कालीन सुपरवाईजर कानूनगो द्वारा ग्राम किरतपुर के खसरा सं0 2181/1 क्षेत्रफल 3 बिघे पुख्ता व खसरा सं0 2181/2 क्षेत्रफल 1 बीघा पुख्ता व खसरा सं0 2182/2 क्षेत्रफल 1—1—14 बीघे पुख्ता पर सत्य प्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का कब्जा दर्ज करने के आदेश अंकित हैं।

5— यह कि ग्राम किरतपुर की खतौनी अन्दर नगरपालिका 1377 फसली से 1379 फसली के खतौनी 160 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का नाम खसरा सं0 2181/1 क्षेत्रफल 4 बीघे पुख्ता, खसरा सं0 2182/2 क्षेत्रफल 1—1—14 बीघे पुख्ता कुल 2 खेत क्षेत्रफल 5—1—14 बीघे पुख्ता लगान 36.84 पैसे सीरदारी में मूल खातेदार के रूप में एन0जेड0ए0 से अन्दर नगरपालिका की खतौनी में बिना किसी आदेश के अंकित हो गयी। यह फर्जी प्रविष्टी है इसके बाद वाद सं0 32 दिनांकित 05—09—1970 में लगान जमा कर सनद भूमिधरी प्राप्त करने के आदेश 1377 से 1379 फसली में अंकित हैं।

अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)
बिजनौर

यह कि ग्राम किरतपुर अन्दर नगरपालिका किरतपुर परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद की खतौनी 1380–1384 फसली के खाता सं0 110 पर सत्य प्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का नाम उपरोक्त गाटा सख्या, क्षेत्रफल व लगान परं श्रेणी–ट के रूप में अंकित है। तत्पश्चात् खातेदार द्वारा दिनांक 28–03–1974 को विक्रय–पत्र फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र द्वारा पार्टनर रमेशचन्द्र सुरेशचन्द्र पुत्रगण लल्लूमल व राकेश कुमार पुत्र वशेषचन्द्र व श्रीमति चन्द्रावती पत्नी लल्लूमल निवासी किरतपुर का नाम अंकित कर दिया।

7– यह कि प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में तालाब के रूप में दर्ज थी और तालाब था तदानुसार इस आराजी पर तालाब की आराजी पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

8– यह कि वादीगण को कोई अधिकार प्रश्नगत आराजी पर उत्पन्न नही होते हैं। प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में तालाब के रूप में दर्ज है।

9– यह कि संशोधन द्वारा जो क्षेत्रफल लिखा गया है, वह गलत प्रकार से लिखा गया है। कुल प्रश्नगत सम्पत्ति तालाब है, जिस पर वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है।

10– यह कि संशोधित वादपत्र बिल्कुल गलत है, विधि विरूद्ध है और वाद सव्यय खण्डित होने योग्य है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
बिजनौर

मैं, , प्रतिवादी सं0 आज दिनांक 26
अक्टूबर , 2015 स्थान बिजनौर तस्दीक करता हूँ कि
उपरोक्त अतिरिक्त प्रतिवादपत्र के प्रस्तर सं0 1 ता 10
मेरे निजी ज्ञान व अभिलेखों पर आधारित होने के कारण सत्य हैं।

प्रतिवादीगण सं01 व 2

अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)
बिजनौर

द्वारा:
26/10/15
अभय कुमार अग्रवाल
जिला शास0अधि0(दीवानी)
बिजनौर।

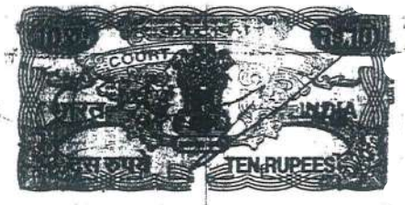

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बिजनौर।

मूलवाद संख्या 586 / 2013

रमेश चन्द गोयल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

शपथपत्र मिनजानिब राम मूर्ति मिश्रा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बिजनौर

यह कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि –

1– यह कि मैं उपरोक्त वाद में प्रतिवादी हूँ तथा वाद के तथ्यों से भली–भाँति परिचित हूँ।

2– यह कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे प्रतिवादपत्र के प्रस्तर सं01 ता 10 मेरे निजी ज्ञान व अभिलेखों पर आधारित होने के कारण सत्य हैं।

3– यह कि उपरोक्त शपथपत्र के प्रस्तर सं01 व 2 मेरे निजी ज्ञान में सत्य हैं। इसमें कुछ छिंपाया नही गया है और न ही कुछ झूठ है। ईश्वर मेरी मदद करें।

26/10/15

अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)
शपथकर्ता बिजनौर

Oath Commissioner Bijnor

26/10/15

शपथकर्ता
अपर जिलाधिकारी (प्रशा०)
बिजनौर

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION) BIJNOR

ORIGINAL SUIT NO. 586/2013

Ramesh Chand Goyal and others Vs. State of U.P. & others

ADDITIONAL COUNTER-CLAIM/PLAINT ON BEHALF OF DEFT. NO. 1 & 2

1. That in the above case, the plaintiffs have submitted a revised plaint against the law having no truth at all.
2. That in the records of Mahal Chauhanan Khewat No. 103 of village Kiratpur, the name of Rajarai Bharat Singh son of Rajarai Dalchand, by caste Jat, resident of Sahanpur is mentioned and in column No. 5 of Khasra No. 1347 Fasli, Mahal Chauhanan Khewat No. 1 is mentioned, in column No. 1 of which Khasra No. 2181 is mentioned, in which stand (Padawa) and pond are mentioned.
3. That the land in question is recorded as desert and pond in the Fasli year 1359 and its real owner is the Government of Uttar Pradesh.
4. That on the Khata No. 14 pertaining to the Fasli year 1367 Khatauni (N.Z.A.) of the village Kiratpur, desert

is mentioned and orders have been marked by the then Supervisor Kanungo for registering the possession of Satya Prakash, son of Krishnadutt, resident of Village Kiratpur, on Khasra No. 2181/1, area 3 bigha solid, Khasra No. 2181/2, area 1 bigha solid, and Khasra No. 2182/2, area 1-1-14 bigha solid.

5. That in the Khatauni of village Kiratpur within the Municipality, from Fasli 1377 to Fasli 1379, in Khatauni 160, the name of Satyaprakash son of Krishnadutt resident of village Kiratpur, Khasra No. 2181/1 area 4 bighas pucca, Khasra No. 2182/2 area 1-1-14 bighas pucca, total 2 fields area bighas pucca, rent 36.84 paise, was recorded as the original account holder in Sirdari in the Khatauni of the Municipality within N.Z.A. without any order. This is a fake entry. After this, in suit no. 32 dated 05-09-1970, orders were given to obtain sanad of land ownership by paying rent.

6. That in the Khatauni of village Kiratpur within the Municipality of Kiratpur, Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad, in the Account no. 110 of the 1380 1384 crop year, the name of Satya Prakash son of Krishna Dutt resident of village Kiratpur is mentioned as the category on the above plot no., area and rent. Thereafter, on 28-03-1974, the account holder mentioned the names of partners Ramesh Chandra Suresh Chandra, sons of Lallumal and Rakesh Kumar son of Vashesh Chandra and Smt. Chandravati wife of Lallumal resident of Kiratpur in the sale deed.

7. That the land in question was registered as a pond in the Fasli base year 1359 and was a pond. Accordingly, no person has any right on this land or pond land.

8. That the plaintiffs do not have any right on the land in question. The land in question is recorded as a pond in the Fasli base year 1359.

9. That the area mentioned in the amendment is wrongly written. The entire property in question is a pond, on which the plaintiffs have no right.

10. That the amended plaint is absolutely wrong, against the law and the suit is liable to be dismissed with cost.

Sd/-
Additional District Officer (Admn.)
Respondent No. 1 and 2

I, Respondent no. today on 26 October, 2015, do hereby verify that the statements made in para. 1 to 10 of the above additional counter complaint are true being based on my personal knowledge and records.

Respondent No.1 and 2
Additional District Officer (Adm), Bijnor

Through
26.10.15
Abhay Kumar Agarwal
District Administrative Officer (Civil), Bijnor

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION) BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586/2013

Ramesh Chand Goyal and others Vs. State of U.P. & others

Statement on Affidavit on behalf of Rammurti Mishra, Additional District Officer (Adm), Bijnor

I do hereby solemnly affirm and state that:-

1. That I am the defendant in the above suit and am well acquainted with facts of the suit.
2. That the statements made in para 1 to 10 of the counter-plaint by defendants no. 1 and 2 in the aforesaid case are true being based on my personal knowledge and records.
3. That the statements made in para 1 and 2 of the aforesaid affidavit are true to my knowledge. Nothing has been concealed nor is there any false. May God help me.

Sd/-
Additional District Officer (Adm), Bijnor

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-8

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार आदि

प्रतिउत्तर पत्र (Replication), वादीगण की ओर से :–

1. यह कि अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र के पैरा नं0 1 ता 9 के कथन गलत एवं असत्य हैं और वादीगण को स्वीकार नहीं है।

अतिरिक्त कथन

2. यह कि अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र, वाद पत्र में चाहे गये संशोधन का कोई उत्तर नहीं है, बल्कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अनावश्यक तौर से अपने पूर्व प्रतिवाद पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति कर दी है, जिसका कोई अधिकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नहीं था।
3. यह कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपने अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र में वादपत्र में हुये संशोधन के सम्बन्ध में कोई विपरीत या अलग कथन नहीं किया है। इस प्रकार वादपत्र का संशोधन वादीगण, प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्वीकार है।
4. यह कि प्रतिवादीगण 1 व 2 के अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र के कथन के उत्तर में वादीगण के प्रतिउत्तर पत्र क–53 के तथ्य पढ़े जाने योग्य हैं और उन्हीं तथ्यों को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है।
5. यह कि अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी नं0 1 व 2 अस्वीकार किया जाकर, वादीगण का दावा सव्यय डिग्री किये जाने योग्य है।

दिनांक 30.10.15

Rameshchand

वादीगण

रमेश चन्द्र गोयल आदि

द्वारा

30/10/15

श्री प्रशान्त कुमार गोयल, एड0

सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर

मैं वादी नं0 2 आज दि0 30.10.15 को स्थान बिजनौर में तस्दीक करता हूँ कि प्रतिउत्तरपत्र के पैरा नं0 1 ता 5 के कथन मेरे निजी ज्ञान में सच एवं सही हैं।

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (CD), BIJNOR

ORIGINAL CASE NO. 586 OF 2013

Ramesh Chandra Goyal and others Vs. State of Uttar Pradesh and others

Replication on behalf of the plaintiffs:

1. That the statements made in paragraphs 1 to 9 of the additional counter-claim are incorrect, untrue and are not admitted by the plaintiffs.

ADDITIONAL STATEMENTS

2. That the additional counter-claim is not a reply to the amendment sought in the plaint, rather repetition of the earlier counter-claim no. ...-49 made by the defendant no. 1 and 2 unnecessarily, to which defendant no. 1 and 2 had no right.
3. That the defendants no. 1 and 2 have not made any contrary or different statement in their additional counter-claim regarding the amendment made in the plaint. Thus the amendment of the plaint is admitted by the plaintiffs, defendants no. 1 and 2.

4. That in reply to the statements made in the additional counter-claim of defendants 1 and 2, the facts of the rejoinder no. A-53 are readable and there is no need to repeat the same facts.

5. That the additional counter-claim of defendant nos. 1 and 2 is not admitted, hence claim of the plaintiffs is fit to be decreed with cost.

Date 30.10.15

Sd/-
Plaintiffs
Ramesh Chandra Goyal and others
Through

Sd/- 30.10.15
Sri Prashant Kumar Goyal, Advocate
Civil Court Compound, Bijnor

I, plaintiff no. 2, do hereby verify today on 30.10.15 that the statements made in para 1 to 5 of the replication are correct and true to my knowledge.

Sd/-

(True Translate Copy)

ANNEXURE R-9

न्यायालय श्रीमान जिला जज महोदय,बिजनौर

सिविल अपील सं0 14 /2018

1—नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद,किरतपुर कस्बा परगना किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर।

2—अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद किरतपुर कस्बा परगना किरतपुर जिला बिजनौर।

——अपीलान्ट (प्रतिवादी स0 3 व 4)

बनाम

1— रमेश चन्द गोयल पुत्र स्व0 लल्लूमल आयू —76 वर्ष नि0 मौ0 महाजनान कस्बा,परगना किरतपुर हाल नि0 द्वारा—डा0संदीप गोयल एस0डी0पुरम ,किरतपुर रोड कस्बा ,परगना तहसील बिजनौर।

2— सुरेशचन्द गोयल पुत्र स्व0 लल्लूमल आयु 62 वर्ष नि0 मौ0महाजनान कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद हाल नि0कृष्णा बैंकट हाल मौ0हसनपुरा निकट बस स्टेण्ड कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद जिला बिजनौर।

3— राकेश कुमार गोयल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री बशेषचन्द गोयल नि0 मौ0 महाजनान हाल नि0 मौ0हसनपुरा निकट बस स्टैण्ड कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद जिला बिजनौर।

4— राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी,बिजनौर

5— तहसीलदार नजीबाबाद जिला बिजनौर।

——रेस्पोन्डेन्ट

सिविल अपील अन्तर्गत धारा—96 तथा आदेश 1 नि0 सी0पी0सी0 बनाराजी निर्णय एंव डिकी दिनांकित 9—12—2015 अन्तर्गत मूलवाद स0 586/2013 रमेशचन्द गोयल बनाम राज्य सरकार आदि पारित द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)बिजनौर जिसमे मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (वादीगण)रेस्पो0सं01 व 2 का वाद

13/4/16

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
किरतपुर (बिजनौर)

amindment dated 2/5/18
[signature] 2/5/18

[signature] 2/5/18

(178)

प्र० 1/1 आकाश गोयल आयु 30 वर्ष पुत्र स्व० सुरेश चंद गोयल नि० 156 सिविल लाईन-2 [illegible] थाना शहर व परगना व तहसील व जिला बिजनौर।

1/2 दीपिका जिन्दल आयु 25 वर्ष पुत्री स्व सुरेश चन्द गोयल W/o दीपक जिन्दल नि० पुरानी कोर्ट रोड मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर। [signature] 2/5/18

(179)

अपीलान्टस के विरूद्व आज्ञप्त निर्णित किया गया है,से क्षुब्ध होकर निम्न आधारो पर योजित की जाती है।

अपील का मूल्यांकन –4 लाख रूपये

न्याय शुल्क रूपये 500/–रू0

अपील के आधार

1–यह कि डिक्री एंव निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एंव तथ्यो के विरूद्ध हैं तथा रद्द होने योंग्य है।

2–यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एंव दस्तावेजो का सही प्रकार विश्लेषण नही किया तथा विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों का सही प्रकार से विवेचना नही किया जिस प्रकार गलत निष्कर्ष निकाला है।

3–यह कि मूल वाद में विवादित आराजी वास्तव में आधार वर्ष की खतौनी 1359 फसली के अन्तर्गत बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है। जिसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सरकार है। तथा नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद के नियन्त्रण एंव देखभाल में है। किन्तु रेस्पो0 सं0 1 व 2 के विकेता नें रेवन्यू ऐन्ट्री बगैर किसी विधिक आधार को फर्जी रेवन्यू एन्ट्री अपने हक में करायी उक्त बेबुनियाद एन्ट्री के श्रोत को सिद्ध करने का भार वादीगण रेस्पो0 न0 1 व 2 पर था माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें उक्त तथ्य पर विशेष गौर न करके कानून गलती की है। ज्ञात्वय है कि उक्त फर्जी एन्ट्री के आधार पर सत्यप्रकाश को प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 28.03.1974 निष्पादित करने का अधिकार नही था ना ही वादीगण को उक्त बैनामे से कोई हकूक प्राप्त हुये।

4–यह कि वादीगण को एक अधिकमणकारी हैसियत के ही अधिकार प्राप्त है। किसी भी फर्जी एन्ट्री के आधार पर वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका गृह कर सम्बन्धी रसीदात पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि महज गृह कर रसीद कटाने से अथवा

18/4/15

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
(बिजनौर)

180

निर्माण अनुमति प्राप्त करने से वादीगण को स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नही हो जाते भवन निर्माण स्वीकृति की अनिवार्य शर्त विवाद रहित स्वामित्व होती है। विवाद होने की स्थिति में भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जाती है। उक्त तथ्य पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें गोर न करके बडी गलती की है।

5— यह कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 वादीगण की रेवेन्यू एन्ट्री फर्जी होने के कारण उक्त सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट द्वारा घोषणा की जानी अपेक्षित है। बगैर टाइटंल की घोषणा के तथा बगैर स्वामित्व तथ्य किए हुए वाद हाजा निषेधाज्ञा हरगिज पोषणीय नही है। इस बिन्दु का माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें सही प्रकार से विश्लेषण नही किया और अपीलांटस के विरूद्व डिकी कर बडी तात्विक भूल की है।

अतः अपील मय खर्चा हरदो अदालत स्वीकार की जाकर निर्णय एंव आज्ञप्ति अधीनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जाए।

दिनांक 13/4/16

अपीलांटस

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नगर ~~पालिका~~ परिषद किरतपुर आदि

13/4/16
एडवोकेट
रजि० 3265/92
सिविल कोर्ट, बिजनौर

181

दीवानी C.A. (S.D.) Bijnor

आज यह अपील/निगरानी
श्री आरती पाण्डे के निर्णय एवं आज्ञप्ति
दि. 9.12.15 ... के विरुद्ध समय अवधि
एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर
प्रस्तुत की गई है। न्याय एवं आदेशिका
शुल्क पर्याप्त है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता
एवं सामान्य नियमावली (दिवानी) के
उपबन्ध का पालन पर्याप्त है।

श्रीमान्
यह दीवानी अपील समयावधि के
बाहर है। S.L.Act का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत है।

13/5/16

सदर मुन्सरिम
न्यायालय जिला जज, बिजनौर

IN THE COURT OF LEARNED DISTRICT JUDGE, BIJNOR

CIVIL APPEAL NO. 14 OF 2018

1. Municipal Council Kiratpur through the President Municipal Council, Kiratpur, Town Pargana Kiratpur Tehsil Najibabad District Bijnor.
2. Executive Officer, Municipal Council Kiratpur Town Pargana Kiratpur District Bijnor.

.....Appellant (Defendant No. 3 and 4)

Versus

1. Ramesh Chand Goyal, son of late Lallumal, age 76 years, resident of Mohalla Mahajanan Town, Pargana Kiratpur, at present care of Dr. Sandeep Goyal, S.D. Puram Kiratpur Road, Area Pargana Tehsil Bijnor.
2. Suresh Chand Goyal, son of Late Lallumal, age 62, resident of Mohalla Mahajanan, Town, Pargana Kiratpur Tehsil, Najibabad, at present Krishna Banquet Hall, Mauza Hasanpura, Near Bus Stand, Town Pargana Kiratpur Tehsil Najibabad District, Bijnor. (heirs mentioned in question)

3. Rakesh Kumar Goyal, aged 54 years, son of Shri Basheshchand Goyal, resident of Mohalla Mahajanan, presently resident of Mohalla Hasanpura, Near bus Stand, Town, Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad, District Bijnor.
4. The State of Uttar Pradesh through the District Officer, Bijnor.
5. The Tehsildar Najibabad District Bijnor.

.....Respondents

Being aggrieved by the judgment and decree dated 9-12-2015 passed by the court of Civil Judge (CD) Bijnor in Civil Appeal under Section 96 and order 1 C.P.C. Banaraji arising out of Original Case no. 586/2013 Rameshchand Goyal vs State and others wherein the suit of respondent no. 1 and 2 has been decided by the learned subordinate court (plaintiffs) against the appellants, the following grounds have been framed:-

No. 2/1 Akshay Goyal, aged 30 years, son of Late Suresh Chand Goyal, resident of 156, Civil Line-2, Haji Chowk Town+Pargana+Tehsil+District-Bijnor

2/2 Dipti Jindal, aged 25 years, son of late Suresh Chand Goyal, wife of Dipak Jindal, resident of East K.P. Road, Bulandshaher, District-Bulandshaher

Valuation of the Appeal Rs 4 lakhs

Court fees Rs 500/-

GROUNDS OF APPEAL

1. That the decree and order of the lower court are contrary to law and facts and are liable to be rejected.
2. That the Hon'ble subordinate court did not properly analyse the facts and documents submitted on the file and the principles of law have not been perused minutely and as such wrongly concluded.
3. That the disputed plot in the original suit is actually recorded as dessert and pond under the Khatauni 1359 Fasli of the base year, whose real owner is the Government of Uttar Pradesh and is under the control and care of the Municipal Council within the limits of the municipality. But the seller of respondent no. 1 and 2 got a fake revenue entry made in his favor without any legal basis. The burden of

proving the source of the said baseless entry was on the plaintiffs- respondent no. 1 and 2. The Hon'ble subordinate court has committed a legal mistake by not paying special attention to the said fact. It is known that on the basis of the said fake entry, Satyaprakash did not have the right to execute the deed under question dated 28.03.1974 nor did the plaintiffs get any rights from the said deed.

4. That the plaintiffs have rights only in a superseding capacity. The plaintiffs have not got any legal rights on the basis of any fake entry. The Hon'ble subordinate court paid special attention to the receipt related to municipal house tax whereas merely by cutting the house tax receipt or by obtaining building permission, the plaintiffs do not get ownership rights. The essential condition for building construction approval is dispute-free ownership. In case of dispute, building construction approval is automatically considered cancelled. The

Hon'ble subordinate court has committed a big mistake by not paying attention to the above fact.

5. That since the revenue entry of respondent no. 1 and 2 plaintiffs is fake, a declaration in this regard is required by the Revenue Court. Without declaration of title and without ownership facts, this suit and injunction is not maintainable at all. The Hon'ble subordinate court did not analyze this point properly and made a big fundamental mistake by passing judgement against the appellants.

6. Para 6 mentioned below.

It is, therefore, prayed that the appeal may be admitted with cost and the judgment and order passed by the learned subordinate court be set aside.

Date 13/4/16

Appellants
Sd/-
Executive Officer
Municipal Council, Kiratpur and others

Page – 6 That on the basis of the information given by respondent no. 1, the respondent no. 2 Suresh Chand

Goyal died on 30.08.17 leaving behind his death, his legal heir Akshay Goyal and a daughter Dipti Jindal who have been made party in the case as respondent no. 2/1 and 2/2 which are available on record.

Today this Civil Appeal has been filed before the Civil Judge (SD) Bijnor against the judgment and order dated 09.12.2015 passed by Sri Aparna Pandey, Civil Judge (SD) Bijnor within time under the territorial jurisdiction of this learned court. Court fees is sufficient. Provision of the Code of Civil Procedure and general rules (Civil) is sufficiently complied with.

Hon'ble Sir,

This Civil Appeal has been filed within time. SL Act has been complied with and report is submitted

Sd/-
13.4.16
Sadar Munsrin
Court of District Judge, Bijnor

(True Translate Copy)

Gmail

saurabh ajay <chambersofsaurabhajaygupta@gmail.com>

Service Pleadings of Trial Court and First Appellate Court filed in Civil Suit No. 586/2023 and First Appeal No. 14/2018 in Compliance of Order dated 13.02.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 1270 of 2024 Titled Imran Ali vs Ministry of Environment

1 message

saurabh ajay <chambersofsaurabhajaygupta@gmail.com> Mon, May 5, 2025 at 2:30 PM
To: imran.hrln@gmail.com, eonppkiratbi-up@nic.in

Sir/Madam
PFA copy of Pleadings of Trial Court and First Appellate Court filed in Civil Suit No. 586/2023 and First Appeal No. 14/2018 in Compliance of Order dated 13.02.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in OA No. 1270 of 2024 titled Imran Ali vs Ministry of Environment.

--

SAURABH AJAY GUPTA
Advocate

FINAL PLEADING.pdf
8911K